<u>भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फाइल संख्या 7/13/2022-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांकः 12 अप्रैल, 2023

<u>(मामला सं. एडी (एसएसआर)-05/2022)</u>
<u>अंतिम जांच परिणाम</u>

विषय: <u>चीन जन. गण. और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "फोर्ज्ड ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स को छोड़कर ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच।</u>

फा. सं. 07/13/2022-डीजीटीआर: समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) को एआईए इंजीनियरिंग लिमिटेड और वेलकास्ट स्टील्स लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) से चीन जन. गण. और थाईलैंड (जिन्हें यहां आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फोर्ज्ड ग्राइंडिंग मीडिया बॉल को छोड़कर ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स (जिसे यहां बाद में "जीएम बॉल्स" अथवा 'संबद्ध सामान' अथवा 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा 'पीयूसी' कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरूआत करने की मांग करते हुए एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ।

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 23 मई, 2011 की अधिसूचना संख्या 14/34/2010-डीजीएडी द्वारा चीन जन. गण. और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "फोर्ज्ड ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स को छोड़कर ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स" के आयातों के संबंध में मूल जांच शुरू की थी। प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना दिनांक 22 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या 14/34/2010-डीजीएडी के माध्यम से जारी की गई थी, जिसमें संबद्ध सामानों के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) लगाने की सिफारिश की गई थी। वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 16 जुलाई, 2012 की अधिसूचना संख्या 36/2012-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाये गये थे।

2. इसके बाद प्राधिकारी ने दिनांक 04 जुलाई, 2017 की अधिसूचना संख्या 7/7/2017-डीजीएडी द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की थी। प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना दिनांक 11 जून, 2018 की अधिसूचना संख्या 7/7/2017-डीजीएडी के माध्यम से जारी की गई थी, जिसमें संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर लागू शुल्क बढ़ाए जाने की सिफारिश की गई थी। वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2018 की अधिसूचना संख्या 36/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा पाटनरोधी शुल्क बढ़ाये गये थे। उक्त शुल्क 5 वर्ष की अवधि के लिए लगाए गए थे और दिनांक 13 अप्रैल, 2023 को समाप्त होने वाले हैं।

3. अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले न हटाये गये हों, उन्हें लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर प्रभावी होने बंद हो जाएंगे और प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे यह समीक्षा करें कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, नियमावली के नियम 23(1ख) में निम्नलिखित प्रावधान हैः

   "अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क, उसके लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।"

4. उपर्युक्तानुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर समीक्षा करनी होती है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।

5. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ विधिवत सिद्ध आवेदन पत्र के मद्देनजर, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए और यह जांच करने के लिए कि उपर्युक्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है, पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2022 की अधिसूचना संख्या 7/13/2022-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

6. वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर पिछली जांच के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

7. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार वर्तमान जांच शुरू करने से पूर्व निर्णायक समीक्षा जांच के लिए आवेदन पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के संबद्ध सामानों के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2022 की सार्वजनिक सूचना जारी की।

ग. प्राधिकारी ने दिनांक 30 सितंबर, 2022 की जांच की शुरूआत की अधिसूचना की प्रति भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्धों देश के ज्ञात उत्पादकों एवं निर्यातकों, ज्ञात आयातकों, आयातक/प्रयोक्ता एसोसिएशनों तथा आवेदकों

द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भेजी। हितबद्ध पक्षकारों को यह सलाह दी गई थी कि वे निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में संगत सूचना उपलब्ध कराएं और निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात अनुरोध दें।

घ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन पत्र के अगोपनीय रुपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।

ङ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं:

(i) मैगोटॉक्स कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड ("मैगोटो थाईलैंड")।
(ii) मैगोटॉक्स एलॉयड मैटेरियल (सूज़ौ) कंपनी लिमिटेड, चीन ("मैगोटॉक्स चीन)

च. निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने उपर्युक्त अधिसूचना का उत्तर दिया है और अनुरोध/निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं:

(i) मैगोटॉक्स कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड

छ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अधिसूचना और प्रश्नावलियों की प्रति भेजी।

(i) एसीसी लिमिटेड
(ii) एलकॉन सीमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड
(iii) अंबुजा सीमेंट लिमिटेड
(iv) आंध्रा सीमेंट कंपनी लिमिटेड
(v) अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट लिमिटेड
(vi) एशियन कंक्रीट एंड सीमेंट्स प्रा. लिमिटेड
(vii) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
(viii) बिनानी सीमेंट लिमिटेड
(ix) बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(x) सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
(xi) सेंचुरी सीमेंट, सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
(xii) रथ स्टील एंड पावर (पी) लिमिटेड
(xiii) चौगुले एंड कंपनी लिमिटेड
(xiv) चुनार चुर्क सीमेंट लिमिटेड
(xv) डेक्कन सीमेंट्स लिमिटेड
(xvi) डायमंड सीमेंट्स लिमिटेड
(xvii) दुर्गा सीमेंट, आंध्रा सीमेंट्स लिमिटेड
(xviii) ईसीओ सीमेंट इंडिया लिमिटेड
(xix) ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
(xx) ग्रीन वैली इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड
(xxi) गुजरात सीधी सीमेंट लिमिटेड
(xxii) गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड
(xxiii) हीडलबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड
(xxiv) हिन्दुस्तान जिंक. लिमिटेड
(xxv) इंडिया रिसोर्स लिमिटेड
(xxvi) जेके सीमेंट लिमिटेड
(xxvii) जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड
(xxviii)जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड
(xxix) जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
(xxx) जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड
(xxxi) काकतीय सीमेंट शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
(xxxii) कीर्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड
(xxxiii)केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
(xxxiv)खैबर इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड
(xxxv) लाफार्ज इंडिया प्रा. लिमिटेड
(xxxvi)मद्रास सीमेंट्स लिमिटेड
(xxxvii) महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड
(xxxviii) माही सीमेंट (बांसवाड़ा) लिमिटेड
(xxxix) बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(xl) मंडोवी पेलेट्स लिमिटेड
(xli) मेघा टेक्निकल एंड इंजीनियर्स प्रा. लिमिटेड
(xlii) मेघालय सीमेंट्स लिमिटेड
(xliii) एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड

(xliv) मुरली इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(xlv) माय होम सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(xlvi) एनसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(xlvii) एनजीएस व्हाइट सीमेंट कंपनी लिमिटेड

(xlviii) ओसीएल इंडिया लिमिटेड

(xlix) ओरेंट सीमेंट लिमिटेड

(l) पानीपत थर्मल पावर स्टेशन

(li) पण्यम सीमेंट्स एंड मिनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(lii) परशक्ति सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(liii) पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(liv) प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड

(lv) रेन कमोडिटीज लिमिटेड

(lvi) रश्मी सीमेंट लिमिटेड

(lvii) रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

(lviii) सागर सीमेंट्स लिमिटेड

(lix) सलोनी इंडस्ट्रीज

(lx) समृद्धि सीमेंट लिमिटेड

(lxi) शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड

(lxii) सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड

(lxiii) शिवा सीमेंट लिमिटेड

(lxiv) श्री सीमेंट लिमिटेड

(lxv) श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी

(lxvi) डीसीएम श्रीराम लिमिटेड

(lxvii) सुडे मिनरल्स एंड केमिकल्स (पी) लिमिटेड

(lxviii) टाटा केमिकल्स लिमिटेड

(lxix) इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड

(lxx) त्रिनयनी सीमेंट (पी) लिमिटेड

(lxxi) ट्रंबू इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

(lxxii) यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

(lxxiii) अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड

(lxxiv) वासवदत्त सीमेंट

(lxxv) जुआरी सीमेंट लिमिटेड

ज. उपर्युक्त पत्र के उत्तर में, किसी भी आयातक अथवा प्रयोक्ता ने आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर नहीं दिए/कानूनी अनुरोध दायर नहीं किए और/अथवा हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृत नहीं हुए।

झ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात प्रयोक्ता एसोसिएशन को प्रश्नावलियां भेजीं।

(i) सीमेंट और निर्माण सामग्री के लिए राष्ट्रीय परिषद
(ii) सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
(iii) द इंडियन माइनिंग एंड इंजीनियरिंग जर्नल

ञ. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में, किसी भी प्रयोक्ता एसोसिएशन ने उत्तर नहीं दिया अथवा अनुरोध दायर नहीं किये और/अथवा हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृत नहीं किया।

ट. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध पर, दिनांक 10 नवंबर, 2022 के पत्र के माध्यम से प्रश्नावली के उत्तर दायर करने के लिए समय बढ़ाया। प्राधिकारी ने दिनांक 03 फरवरी, 2023 के पत्र द्वारा अतिरिक्त सूचना दायर करने के लिए उत्तरदाता निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोध पर और अधिक समय बढ़ाया। प्राधिकारी ने जांच प्रक्रिया के दौरान सभी हितबद्ध पक्षकारों से अतिरिक्त सूचना मांगी।

ठ. चूंकि चल रही कोविड-19 महामारी के कारण वास्तविक सार्वजनिक फ़ाइल को बनाए रखना संभव नहीं था, अतः सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनके द्वारा दायर किए गए अनुरोधों/उत्तरों/टिप्पणियों के अगोपनीय रुपांतर ई-मेल करें।

ड. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 (12 माह) है। क्षति जांच अवधि 2018-19, 2019-20, 2020-21 और जांच की अवधि मानी गई है।

ढ. क्षति अवधि और पिछले तीन वर्षों के लिए डीजी सिस्टम से लेनदेन-वार आयात आंकड़े प्राप्त किए गए थे। प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों के

आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना करने तथा निर्यातकों द्वारा दायर किए गए उत्तरों के साथ तुलना और मिलान करने के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर विश्वास किया है।

ण. आवेदकों और उत्तरदाता निर्यातकों/आयातकों से आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक और सूचना मांगी गई थी।

त. क्षतिरहित कीमत (जिसे यहां आगे "एनआईपी" कहा गया है) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) तथा नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना को ध्यान में रखते हुए भारत में संबद्ध सामानों की इष्टतम उत्पादन लागत और उपयुक्त लाभ के आधार पर निर्धारित गई है। यह क्षतिरहित कीमत इस प्रकार निकाली गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।

थ. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 16 फरवरी, 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करें और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध यदि कोई हैं, करें। पक्षकारों ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ अपने अगोपनीय अनुरोध साझा किए और उन्हें अपने खंडन की प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।

द. इस जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, उठाए गए तर्कों और दी गई सूचना पर उनकी साक्ष्य के साथ समर्थित होने की सीमा तक और वर्तमान जांच में संगत मानी गई सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में विचार किया गया है।

ध. प्राधिकारी ने इस जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की सटीकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट किया, जो संभावित सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना का आधार है और संगत तथा संभावित मानी गई सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का सत्यापन किया।

न. घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना का वास्तविक सत्यापन प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था। इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना के प्रयोजन के लिए केवल ऐसी सत्यापित सूचना, जहां लागू हो, पर विश्वास किया गया है।

प. कोविड-19 के विश्वव्यापी प्रकोप और भारत सहित विभिन्न देशों द्वारा वास्तविक आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण, निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के स्थल सत्यापन के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा वास्तविक निरीक्षण नहीं किया गया था। उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दी गई सूचना का डेस्क सत्यापन नहीं किया गया था क्योंकि उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक ने अपने अनुरोधों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए।

फ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने, जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराएं।

ब. इस जांच में अनिवार्य तथ्यों से युक्त एक प्रकटन विवरण, जो अंतिम जांच परिणामों का आधार बना है, हितबद्ध पक्षकारों को 05 अप्रैल, 2023 को जारी किया गया था, और हितबद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणी देने के लिए 10 अप्रैल, 2023 तक का समय दिया गया था। इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में, हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों पर जहां तक संगत पाया गया है, विचार किया गया है।

भ. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इनकार किया है अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है, अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में रिकॉर्ड किया है।

म. इस अंतिम जांच परिणाम में '***' किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई दर्शाते हैं।

य. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर = 75.37 रुपये है।

ग. <u>विचाराधीन और समान वस्तु</u>

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

8. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

क. पिछली जांचों में प्राधिकारी द्वारा कोई पीसीएन पद्धति अधिसूचित नहीं की गई थी और उसे वर्तमान मामले में जारी रखा जाएगा।

ग.2. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

9. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

क. विचाराधीन उत्पाद वही है जो पिछली जांचों में परिभाषित किया गया था। संबद्ध सामान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद की समान वस्तु है जैसा कि पिछली जांचों में सिद्ध किया गया है।

ख. घरेलू उद्योग ने पीसीएन पद्धति की आवश्यकता पर जोर दिया क्योंकि घरेलू उद्योग और मैगोटॉक्स द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद की कीमतों में भारी अंतर है।

ग.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

10. मूल जांच में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद को यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"8. विचाराधीन उत्पाद 'ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स' (फोर्ज्ड ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स को छोड़कर) है। 'ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स' (संक्षेप में, 'जीएम बॉल्स') विभिन्न अनुप्रयोगों

में उपयोग के लिए विभिन्न आकारों, स्वरूपों और रचनाओं में उत्पादित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, यह ग्राहकों की अलग-अलग आवश्यकताओं के आधार पर अलग-अलग कठोरता में उपलब्ध है।

9. विचाराधीन उत्पाद का पाउडर बनाने के लिए सीमेंट निर्माण सामग्री, धातु खनन, कोयला घोल, थर्मल पावर प्लांट, केमिकल इंजीनियरिंग, सिरेमिक उद्योग, डोप उद्योग, हल्के उद्योग जैसे पेपरमेकिंग और चुंबकीय सामग्री आदि में बड़े पैमाने पर उपयोग में लाया जाता है। संबद्ध सामान सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 73 के सीमा शुल्क उप-शीर्ष 7325 9100 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और इस जांच के क्षेत्र पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

11. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की समीक्षा का अनुरोध करने वाले किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है। विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया था।

12. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान उत्पाद विशेषताओं, उत्पाद विनिर्देशों, तकनीकी विशिष्टताओं, निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोगों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देशों से आयातित सामानों से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से परस्पर परिवर्तनीय हैं। तदनुसार, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे संबद्ध सामानों की 'समान वस्तु' हैं।

13. प्राधिकारी ने पीसीएन पद्धति की आवश्यकता के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोधों को नोट किया है। तथापि, रिकार्ड में उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि संबद्ध देशों से कोई आयात नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, उत्तरदाता निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर भारत को कोई निर्यात नहीं दर्शाता है। यह भी नोट किया जाता है कि मूल जांच और पहली निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी द्वारा किसी भी पीसीएन पद्धति को अधिसूचित नहीं किया गया था। इसलिए, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के लिए पीसीएन परिभाषित नहीं किया है। तथापि, उचित तुलना के लिए जहां आवश्यक हो ग्रेड दर ग्रेड तुलना की गई है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

14.अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. यह समीक्षा याचिका त्रुटिपूर्ण है क्योंकि वेलकास्ट स्टील्स लिमिटेड के लिए प्रारूप एक्स में कोई प्राधिकार पत्र/अपेक्षित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। वेलकास्ट स्टील्स लिमिटेड के लिए समर्थन का कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है।

ख. अन्य घरेलू विनिर्माताओं ने याचिका में भाग नहीं लिया/समर्थन नहीं किया है। घरेलू उद्योग का लक्ष्य एकाधिकार करना और उन पर अपना परिचालन बंद करने के लिए दबाव डालना है।

घ.2. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

15.घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. एआईए इंजीनियरिंग लिमिटेड और वेलकास्ट स्टील्स लिमिटेड समान वस्तु के भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है।

ख. घरेलू उद्योग के अलावा, 11 अन्य घरेलू उत्पादक हैं जो मुख्य रूप से घरेलू मांग को पूरा करते हैं। चार घरेलू उत्पादकों से प्राप्त समर्थन पत्रों को प्राधिकारी के समक्ष कानूनी अनुरोध के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

ग. अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा गैर-भागीदारी इस तथ्य के कारण है कि वे (i) एमएसएमई हैं (ii) केवल घरेलू मांग को ही पूरा करते हैं (iii) उनके कोई निर्यात नहीं हैं।

घ. इस तर्क के संबंध में कि समीक्षा याचिका त्रुटिपूर्ण है, यह अनुरोध किया जाता है कि आवेदकों ने याचिका की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और प्राधिकारी द्वारा इसकी विधिवत जांच की गई थी।

ङ. जहां तक इस बात का संबंध है कि किसी अन्य घरेलू विनिर्माता ने भाग नहीं लिया है, घरेलू उद्योग ने शुल्कों को जारी रखने की मांग करते हुए अन्य घरेलू विनिर्माताओं के समर्थन पत्र प्रस्तुत किए हैं।

घ.3. प्राधिकारी द्‌वारा जांच

16.पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्‌योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैः

"(ख) ''घरेलू उद्‌योग'' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्‌योग'' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

17.यह आवेदन पत्र एआईए इंजीनियरिंग लिमिटेड और वेलकास्ट स्टील्स लिमिटेड द्‌वारा दायर किया गया है। भारत में विचाराधीन उत्पाद के 11 अन्य उत्पादक हैं। जांच की अवधि के दौरान, चार उत्पादकों ने आवेदन पत्र के समर्थन में समर्थन पत्र दायर किये हैं और पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने के लिए अनुरोध किया है।

18.प्राधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर नोट करते हैं कि आवेदकों का भारतीय उत्पादन में ***% हिस्सा है और कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। इसके अतिरिक्त, आवेदकों ने जांच की अवधि के दौरान संबद्‌ध सामानों का आयात नहीं किया है; और नियम 2(ख) के अभिप्राय से संबंधित संबद्‌ध देशों में संबद्‌ध सामानों के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा भारत में उत्पाद के किसी आयातक अथवा प्रयोक्ता से संबद्‌ध नहीं हैं।

19.इसलिए, रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के संबंध में, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से 'घरेलू उद्‌योग' हैं। यहां तक कि यद्‌यपि आधार की अपेक्षाएं समीक्षा जांच पर लागू नहीं होती हैं, तथापि प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आवेदन पत्र नियमावली के नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ङ. <u>गोपनीयता</u>

ङ.1. अन्य हितबद्‌ध पक्षकार द्‌वारा अनुरोध

20.अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. आवेदकों ने अपने आवेदन पत्र में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और अन्य, [2006 (202) ईएलटी 23 (एससी)] पर विश्वास किया गया है

ङ.2. <u>घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध</u>

21.घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. उत्तरदाता ने न केवल व्यापार सूचना, नियमावली और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, बल्कि इसके लिए उनकी व्याख्या भी बेतुकी और अतार्किक है। एच.आर. जॉनसन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [2005(185) ईएलटी 125 (डीएल)] और डीजीटीआर के अन्य जांच परिणामों के मामले में सेसटेट के आदेश पर विश्वास किया गया है, जिसमें प्रतिक्रियाओं को गोपनीय दावा की गई सूचना के अर्थपूर्ण अगोपनीय रुपांतर प्रस्तुत करने में विफलता के कारण खारिज कर दिया गया था।

ख. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि याचिका अत्यधिक गोपनीय है, यह अनुरोध किया जाता है कि इस तर्क में काफी देर हुई है और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, व्यापार सूचना के अनुपालन न करने पर प्राधिकारी द्वारा मैगोटेओक्स को पहले ही बुलाया जा चुका है, जबकि आवेदकों को नहीं बुलाया गया है।

ङ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

22.सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान हैः

''गोपनीय सूचना''

(1) नियम 6 के उप-नियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को अनुरोध किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना अनुरोध करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश अनुरोध करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण अनुरोध करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात को होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

23. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता संबंधी दावों की जांच की है। प्राधिकारी ने मैगोटॉक्स को व्यापार सूचना 10/2018 का पालन करने के बाद संशोधित उत्तर दायर करने का निर्देश दिया था। प्राधिकारी मानते हैं कि कोई भी सूचना जो प्रकृति से गोपनीय है (उदाहरण के लिए, क्योंकि इसका प्रकटन एक प्रतियोगी के लिए महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होगा अथवा क्योंकि इसके प्रकटन से सूचना देने वाले व्यक्ति पर अथवा उस व्यक्ति पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिससे उस व्यक्ति ने सूचना प्राप्त की), अथवा जो एक जांच के लिए पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी जाती है, उचित कारण दर्शाए जाने पर, प्राधिकारी द्वारा इस तरह माना जाएगा। ऐसी सूचना, प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना प्रकट नहीं की जा सकती।

24. प्राधिकारी ने आवेदकों और विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्तरदाता द्वारा शुरू में प्रस्तुत प्रश्नावली का उत्तर पूरी तरह से अपर्याप्त और अत्यधिक गोपनीय था। तत्पश्चात, प्रतिवादियों को पूरी ईक्यूआर प्रस्तुत करने और गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। प्राधिकारी ने नोट किया है कि पुनः दायर किया गया उत्तर अत्यधिक गोपनीय बना हुआ है। नियम 7(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने उस सूचना की अवहेलना की है जो अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना के प्रयोजन के लिए पर्याप्त अगोपनीय रुपांतरण के साथ नहीं है। प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत

साक्ष्य के अगोपनीय रुपांतर को उपलब्ध कराया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सार्वजनिक पटल में उपलब्ध किसी भी सूचना को गोपनीय नहीं माना जा सकता है।

च. विविध अनुरोध

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा अनुरोध

25.अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. लंबे समय तक शुल्क लगाया जाना आसियान भागीदारों के बीच सहयोग की भावना के विरुद्ध है।

ख. यदि शुल्क जारी रखा जाता है, तो घरेलू उद्योग को 10 वर्षों की निर्बाध अवधि के लिए शुल्क संरक्षण प्राप्त होगा।

च.2. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

26.घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. विभिन्न देशों में मैगोटॉक्स की विनिर्माण सुविधाओं ने व्यापार बाधाएं उत्पन्न की हैं, विभिन्न व्यापार कार्रवाईयों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा समाप्त की है, और केवल अपने उत्पादों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त व्यापार पहुंच को बनाए रखा है।

ख. कानूनी आवश्यकता और निर्देश के बावजूद, मैगोटॉक्स थाईलैंड की एक कंपनी से संबद्ध मैगोटॉक्स इंडिया वर्तमान जांच में भाग लेने में विफल रही है। यह मैगोटॉक्स के लिए एक आयातक, बिक्री और विपणन कार्यालय होने और क्षति की अवधि के दौरान घरेलू बिक्री करने के बावजूद है।

ग. उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली का उत्तर पूरी तरह से अपर्याप्त है और इसमें पर्याप्त प्रतिक्रिया का अभाव है। प्राधिकारी द्वारा मांगी गई अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक सार्थक सारांश प्रदान करने में विफलता से अपने हितों की रक्षा करने के लिए घरेलू उद्योग का अधिकार कर हुआ है।

घ. क्षति अवधि के दौरान उत्पाद का कोई ज्ञात आयात नहीं हुआ है। एचएस कोड के तहत केवल नगण्य मात्रा दर्ज की गई है, जिनमें से कीमत मात्रा के अनुपात में अत्यधिक है। घरेलू उद्योग प्राधिकारी से रिपोर्ट की गई मात्रा की जांच करने का अनुरोध करते हैं।

ङ. आयातों की मात्रा कम होने की स्थिति में भी, पाटनरोधी शुल्क जारी रखा जा सकता है। भारत, कनाडा और यूरोपीय संघ सहित विभिन्न न्यायालयों के मामलों पर विश्वास किया गया है।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

27.प्राधिकारी ने पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार किया है और निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

क. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून में स्पष्ट रूप से परिकल्पना की गई है कि यदि यह पाया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामी क्षति होने की संभावना है तो समय-समय पर पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाया जाना आवश्यक है। पाटनरोधी कानून अनुचित व्यापार परिपाटी को हटाने और घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करने के लिए है। प्राधिकारी कानूनों के तहत निर्धारित अपेक्षाओं का पालन करने के बाद ही पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हैं।

ख. यह नोट किया जाता है कि मैगोटॉक्स इंडिया प्रा. लिमिटेड ने सुनवाई में भाग लिया। तथापि, कई निर्देशों और आवश्यकता के बावजूद, कंपनी ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है और वर्तमान जांच में संगत सूचना नहीं दी है। व्यापार सूचना 11/2018 के उल्लंघन में, मैगोटॉक्स इंडिया ने खुद को वर्तमान जांच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत नहीं किया है। इसके बावजूद मैगोटॉक्स इंडिया के प्रतिनिधि ने मौखिक सुनवाई में भाग लिया और मैगोटॉक्स थाईलैंड के समर्थन में बात की। भले ही प्राधिकारी ने मैगोटॉक्स इंडिया के संबंध में संगत सूचना देने के लिए मैगोटॉक्स थाईलैंड को निर्देशित किया, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैगोटॉक्स इंडिया द्वारा वांछित सूचना नहीं दी गई थी। प्राधिकारी मानते हैं कि मैगोटॉक्स इंडिया से उत्तर वर्तमान जांच में संगत और आवश्यक था, क्योंकि मैगोटॉक्स थाईलैंड ने उल्लेख किया कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में वह भारत को उत्पाद का निर्यात करना चाहता है, मैगोटॉक्स इंडिया वर्तमान अवधि के दौरान घरेलू बाजार में माल बेच रहा है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि मैगोटॉक्स थाईलैंड के निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर से देखा जाता है, मैगोटॉक्स इंडिया वर्तमान में उत्पादन में लगी हुई है, जबकि यह केवल एक विपणन शाखा थी जैसा कि मूल जांच में पाया गया था।

ग. मैगोटॉक्स थाईलैंड द्वारा दायर सूचना की पर्याप्तता के संबंध में, प्राधिकारी ने मैगोटॉक्स थाईलैंड को त्रुटिपूर्ण प्रश्नावली जारी की जिससे उन्हें उत्तर पूरे करने का

अवसर प्राप्त हुआ। तथापि, कई अवसर देने के बावजूद, मैगोटॉक्स थाईलैंड ने प्राधिकारी द्वारा वांछित निम्नलिखित सूचना नहीं दी है:

(i) 2021-22, 2019-20 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण।
(ii) पिछले तीन वर्षों के लिए लाभप्रदता विवरण।
(iii) निष्पादन मानदंड जो प्रवृत्ति में हैं।
(iv) लागत और बिक्री आंकड़ों में भिन्नता।

घ. मैगोटॉक्स थाईलैंड ने अपनी क्षमता, उत्पादन लागत और बिक्री के संबंध में अपनी प्रश्नावली के उत्तरों में दी गई सूचना के समर्थन में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये हैं। तथापि, 5 अप्रैल, 2023 को लगभग पूर्वाह्न 01:40 बजे मैगोटॉक्स थाईलैंड के कानूनी सलाहकार से एक ई-मेल प्राप्त हुआ। जब प्राधिकारी प्रकटन विवरण जारी करने की प्रक्रिया में थे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक को वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी को संगत सूचना देने के लिए कई अवसर दिए गए थे। तथापि, निर्यातक ने समय सीमा के दौरान संगत सूचना नहीं दी है। प्राधिकारी द्वारा प्रकटन जारी करने के चरण में निर्यातक द्वारा दायर किए गए दस्तावेज काफी विलंबित और समयबाधित हैं। इसलिए प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना के उद्देश्य से इतने विलंबित चरण में उक्त निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों को स्वीकार नहीं करते हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने उन्हें उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर तथ्यों सिद्ध किये हैं।

छ. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

छ.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा अनुरोध</u>

28. अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

छ.2. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

29. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि चीन में लागत और कीमतें उचित रूप से बाजार बलों को नहीं दर्शाती हैं। अतः, प्राधिकारी अनुबंध-I के पैरा 7 के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं।

ख. पैरा 7 के तहत, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए सामान्य मूल्य को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में संबद्ध सामानों की कीमतों के आधार पर अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में कीमत अथवा किसी अन्य उपयुक्त आधार पर कीमत के आधार पर निर्धारित की जानी होती है। आवेदकों ने वर्तमान जांच के लिए थाईलैंड को उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में बताया है।

ग. थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य की गणना देश में संबद्ध सामान के एकमात्र उत्पादक मैगोटॉक्स कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड द्वारा बेचे गए सामानों की लागत और उचित लाभ मार्जिन के आधार पर की जानी चाहिए।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

30.अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में "सामान्य मूल्य" का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो;

(ख) अथवा उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

<u>चीन में सामान्य मूल्य</u>

31.चीनी अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान हैः

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगेः

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतें के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैः

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) *आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।*

(ख) *एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के संगत प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।*

(ग) *आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।*

(घ) *आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अतिरिक्त, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"*

32.यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में भारत की नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था स्तर का दावा करने के संबंध में पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पूरा किया जाना अपेक्षित है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन. गण. के उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में इस प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए हैं, अतः सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

33.संबद्ध देशों के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निम्नानुसार निर्धारित की गई है।

34.नियमावली के अनुबंध-I का पैरा 7 निम्नानुसार है:

गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।

35.चीन में किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने जांच में सहयोग नहीं किया है। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए और किसी भी चीनी निर्यातक कंपनी द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान के खंडन के अभाव में, प्राधिकारी वर्तमान जांच में चीन

जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानना उपयुक्त मानते हैं और चीन जन. गण. के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनुबंध-I के पैरा-7 के अनुसार कार्रवाई करने का प्रस्ताव करते हैं।

<u>चीन जन. गण. के सभी उत्पादक/निर्यातक</u>

36.पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 में निहित अन्य तरीकों के संबंध में रिकॉर्ड में पर्याप्त सूचना के अभाव में, प्राधिकारी ने "कोई अन्य उचित आधार" पद्धति अपनाकर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

37.इसलिए प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य की गणना की है।

<u>थाईलैंड के निर्यातक/उत्पादक मैसर्स मैगोटॉक्स कंपनी लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण</u>

38.उत्तरदाता के प्रश्नावली के उत्तर की जांच करते समय, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर में आंकड़ों में काफी भिन्नताएं हैं। यह देखा जाता है कि;

क. यद्यपि जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद के लिए तीसरे देशों के लेनदेन-वार बिक्री आंकड़ों के संबंध में किए गए अनुरोधों में परिशिष्ट 1 में तीसरे देशों को निर्यात की मात्रा *** मी. टन दर्शाई गई है, तथापि उत्तरदाता ने *** मी. टन का निर्यात सूचित किया। यह स्पष्ट नहीं है कि इस लेन-देन वार बिक्री में एनपीयूसी बिक्री शामिल है अथवा नहीं।

ख. कंपनी का वित्तीय विवरण, पिछले 3 वर्षों से प्रस्तुत करने की आवश्यकता होने के बावजूद, उत्तरदाता ने केवल एक प्रस्तुत किया है। अनुबंध 8 में, जिसमें 2020-2021 के वित्तीय विवरण शामिल हैं, जिसमें जांच की 9 माह की अवधि शामिल है, यह देखा जाता है कि कंपनी को 2021 में *** मिलियन भाट की हानि और 2020 में *** मिलियन भाट की हानि हुई, जबकि परिशिष्ट 7 में, कंपनी ने समग्र रूप से कंपनी के लिए *** मिलियन भाट का लाभ, विचाराधीन उत्पाद में *** मिलियन भाट का लाभ और एनपीयूसी में *** मिलियन का लाभ सूचित किया। यह दर्शाने के लिए उत्तर में कोई पुनर्समाधान नहीं दिया गया है कि 2021 में *** मिलियन की हानि जाँच की अवधि में *** मिलियन भाट के लाभ में कैसे बदल गई।

ग. तीसरे देश में निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के भाग-II के अनुबंध 1 में रिपोर्ट किए गए लेन-देन-वार आंकड़ों, रिपोर्ट किए गए अंतर्देशीय मालभाड़े में प्रति यूनिट

असामान्य लागत दिखाई देती है, जो कि *** भाट प्रति मी. टन से लेकर *** भाट प्रति मी. टन तक अधिक है। अंतर काफी हैं क्योंकि इसे कारखाने से बंदरगाह तक माल परिवहन के लिए लगाया जाता है। इसी तरह, ऑस्ट्रेलिया को निर्यात के संबंध में समुद्री भाड़ा 88 भाट प्रति मी. टन जितना कम से लेकर *** भाट प्रति मी. टन जितना अधिक होता है, और तुर्की *** भाट प्रति मी. टन जितना कम से लेकर *** भाट प्रति मी. टन जितना अधिक होता है। यह भारी अंतर एक ही देश के लिए उसी तारीख के दौरान लेनदेन पर भी देखा जाता है जैसे कि तुर्की - 30 अगस्त - भाड़ा *** भाट प्रति मी. टन और *** भाट प्रति मी. टन और, ऑस्ट्रेलिया के लिए - 8 अप्रैल - रिपोर्ट किया गया समुद्री भाड़ा *** भाट प्रति मी. टन से *** भाट प्रति मी. टन तक भिन्न होता है।

39.इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी द्वारा अपनी अनुरोधों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश और इसके लिए 10 दिनों की समय-सीमा प्रदान करने के बावजूद, उत्तरदाताओं ने डेस्क-सत्यापन के लिए दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया। उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी ने नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

<u>थाईलैंड के अन्य सभी निर्यातकों/उत्पादकों का सामान्य मूल्य</u>

40.यह नोट किया जाता है कि मैसर्स मैगोटॉक्स कंपनी लिमिटेड, निर्यातक/उत्पादक थाईलैंड से संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक/निर्यातक है। थाईलैंड से सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है ।

<u>चीन जन. गण. और थाईलैंड की निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

41.चीन जन.गण. के किसी भी निर्यातक ने निर्यात कीमत का ब्यौरा देते हुए कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। डीजी सिस्टम्स के आंकड़े चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात न होना दर्शाते हैं।

42.जहां तक थाइलैंड का संबंध है, मैसर्स मैगोटॉक्स कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड ने जांच में उत्तर दिया है और उल्लेख किया है कि उन्होंने भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के माध्यम से इसे सत्यापित किया है।

43.प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबंधित उत्पाद का कोई ज्ञात आयात नहीं हुआ है। इसलिए, जांच की अवधि के निर्यातों के संबंध में

वास्तविक पाटन मार्जिन को जांच की अवधि के दौरान भारत में वास्तविक आयातों के अभाव में निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

ज. पाटन और क्षति के जांच के लिए पद्धति और मात्रात्मक प्रभाव

ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा अनुरोध

44.अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. घरेलू उद्योग काफी निर्यातोन्मुख है और शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में क्षति के बार-बार होने का आरोप नहीं लगा सकता है।

ख. प्राधिकारी को संरक्षण की असामान्य रूप से लंबी अवधि की आवश्यकता और घरेलू उद्योग की अंतर्निहित अक्षमताओं की जांच करनी चाहिए जो उनकी क्षति का कारण है। सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका से कास्टिक सोडा (1 अगस्त, 2018), जापान और थाईलैंड से फिनोल, (1 जुलाई, 2016), चीन जन. गण., इंडोनेशिया, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात से सादा जिप्सम प्लास्टर बोर्ड (19 अप्रैल, 2018) से आयात के संबंध में निर्णायक समीक्षा पर विश्वास किया जाता है।

ग. शुल्क लागू होने के दौरान घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति में आई गिरावट मैगोटॉक्स की गलती नहीं है।

घ. क्षतिरहित कीमत के परिकलन में कोविड-19 और क्षमता विस्तार को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की लागत और मूल्यह्रास में वृद्धि हुई है।

ङ. अवास्तविक प्रस्तावों के आधार पर क्षति के परिकलन में कोई औचित्य नहीं है जो ग्रेड अथवा पीसीएन का कोई ब्यौरा न होने वाले घरेलू उद्योग से अलग-अलग और भिन्न हैं।

च. कोई मात्रात्मक क्षति, कीमत क्षति, अथवा लाभप्रदता, बिक्री लागत, संस्थापित क्षमता आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

छ. शुल्कों के संरक्षित वातावरण के तहत काम कर रहे वेलकास्ट को अभी भी हानि हो रही है।

ज. यह दावा करने में कोई औचित्य नहीं है कि अन्य क्षेत्राधिकारों में घरेलू उद्योग पर लगाए गए शुल्कों से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। वास्तव में, घरेलू उद्योग ने इनमें से किसी भी शुल्क को चुनौती तक नहीं दी है। उनका दावा निराधार है।

झ. अन्य क्षेत्राधिकारों में घरेलू उद्योग पर लगाए गए शुल्क दर्शाते हैं कि वे विचाराधीन उत्पाद के लिए अधिक कीमत वसूल कर भारतीय घरेलू प्रयोक्ताओं का शोषण कर रहे हैं।

ज.2. <u>घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध</u>

45. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. घरेलू उद्योग ने निरंतर पाटन अथवा क्षति का दावा नहीं किया है। वास्तव में शुल्क की मौजूदगी के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मानदंडों में उपयुक्त सुधार हुआ है।

ख. यद्यपि संबद्ध देशों से कोई अथवा नगण्य आयात नहीं है, फिर भी विदेशी निर्यातकों के पास पर्याप्त मुक्त रूप से निपटानयोग्य क्षमता मौजूद है। विभिन्न न्यायाधिकरणों में की गई जांचों का संदर्भ दिया जाता है।

ग. वर्तमान पाटन अथवा क्षति का अभाव यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि शुल्क जारी नहीं रखा जाना चाहिए।

घ. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग निर्यातोन्मुख है, यह अनुरोध किया जाता है कि वे घरेलू उत्पादक हैं न कि निर्यातोन्मुख यूनिट। इसके अतिरिक्त, वैश्विक बाजार में संबद्ध सामानों के अग्रणी उत्पादकों में से एक के रूप में, घरेलू उद्योग निर्यात में लगा हुआ है।

ङ. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग की उपलब्ध क्षमता और विस्तार में पाटन का कोई खतरा नहीं है, यह अनुरोध किया जाता है कि विस्तार का संबद्ध देशों से सामना किए जा रहे पाटन के खतरे से कोई संबंध नहीं है।

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	81	103	114
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
समग्र रूप में संबद्ध देश	मी. टन	246	135	63	0
अन्य देश	मी. टन	83	120	9	52
मांग/खपत	मी. टन	96,905	89,800	97,889	1,01,841

#अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री को घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत बाजार सूचना से उनकी संस्थापित क्षमता के रूप में लिया गया है।

च. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि लंबे समय तक संरक्षण आसियान की भावना के विरुद्ध है और यह उद्योग की अक्षमता है जिसके कारण क्षति हुई है, यह अनुरोध किया जाता है कि आवेदकों द्वारा किसी क्षति का दावा नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उस अवधि पर कोई रोक नहीं है जिसके लिए शुल्क बढ़ाया जा सकता है। भारत, यूरोपीय संघ, ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न जांचों का संदर्भ दिया गया है जहां शुल्कों को 15-30 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।

छ. जहां तक वित्तीय स्थिति में गिरावट के विवाद का संबंध मैगोटॉक्स से नहीं है, वहां कोई मात्रात्मक क्षति, कीमत क्षति अथवा निष्पादन मानदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, आवेदक अनुरोध करते हैं कि उन्होंने निरंतर क्षति का दावा नहीं किया है अथवा यह कि मैगोटॉक्स ने उन्हें क्षति पहुंचाई है।

ज. इस तर्क के संबंध में कि क्षतिरहित कीमत के परिकलन में कोविड-19 और अन्य प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्षतिरहित कीमत का परिकलन निर्धारित नियमावली और परिपाटियों द्वारा शासित होगी।

झ. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि ग्रेड अथवा पीसीएन का कोई ब्यौरा न होने वाले अवास्तविक प्रस्तावों के आधार पर क्षति के परिकलन करने में कोई औचित्य नहीं है, यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का मूल्यांकन करें जिनमें ग्रेडों का विवरण है।

ञ. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि शुल्क द्वारा संरक्षित होने के बावजूद वेलकास्ट को हानि हो रही है, यह अनुरोध किया जाता है कि ये हानि पाटन के कारण नहीं हैं। घरेलू उद्योग वेलकास्ट में संबद्ध सामानों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की प्रक्रिया में है और इसके परिणामस्वरूप क्षमता उपयोग में कमी आई है।

ज.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

46. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को नोट किया है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में इन दोनों की वस्तुनिष्ठ जांच का प्रावधान (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तु के घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; तथा (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव।

47. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9(क)(5) के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले न हटाया तो उसे लगाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति के बाद निष्प्रभावी हो जाता है, बशर्ते कि यदि केन्द्र सरकार समीक्षा में, यह राय व्यक्त करे

कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह समय समय पर आगे पांच वर्षों की अवधि या ऐसी आगामी अवधि जो समय बढ़ाने के आदेश की तारीख से शुरु होगी, के लिए उसके लागू होने की अवधि को बढ़ा सकती है।

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्योंकि यह पहले से लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है इसलिए घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के जारी रहने तथा वास्तविक क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के वास्तविक या संभावित आयातों के संदर्भ में कर सकती है।

49. प्राधिकारी ने शुल्क के समाप्ति की स्थिति में, घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना के बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की है। यह नोट किया गया है कि वर्तमान जांच सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार शुरु की गई है जिसमें प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि कया शुल्क को आगे पांच वर्षों के लिए जारी रखने की आवश्यकता है और संभावित पाटन और क्षति की मात्रा तथा विस्तार कितना है और जांच की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना और किए गए अनुरोधों के आधार पर क्या शुल्क को जारी रखने या हटाने की आवश्यकता है। क्षति अवधि के दौरान वर्तमान क्षति का आकलन करने या उसके जारी रहने की समीक्षा करने के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों की मात्रा और कीमत प्रभावों की जांच की है।

50. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से आयातों के कारण पाटन और क्षति की संभावना के पहलुओं की जांच करने से पहले घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच पहले की है।

51. यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मापदंडों में गिरावट आए, कुछ मापदंडों में गिरावट दिख सकती है, जबकि कुछ में नहीं। प्राधिकारी क्षति संबंधी सभी मापदंडों पर विचार करते हैं और तत्पश्चात निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन की वजह से क्षति हुई है अथवा नहीं। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों और तथ्यों पर विचार करते हुए क्षति संबंधी मापदंडों की वस्तुनिष्ठ जांच की है।

52. वर्तमान मामले में प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात आयात नहीं हैं। अत:, किसी भी तरह, घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण क्षति नहीं हो रही है। फिर भी, प्राधिकारी ने वर्तमान क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन की जांच की है।

53. इस तर्क के संबंध में कि शुल्क से संरक्षित होने के बावजूद वेलकास्ट को घाटा होना जारी है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये घाटे पाटन के कारण नहीं हुए हैं। घरेलू उद्योग का तर्क है कि वह वेलकास्ट में संगत वस्तु का उत्पादन बंद करने की प्रक्रिया में है और इसलिए उसने क्षमता उपयोग कम कर दिया है।

ज.3.1 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

(i) मांग / स्पष्ट खपत का आकलन

54. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत पर घरेलू उद्योग और अन्य सभी भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों, डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार संबद्ध देशों से आयातों और सभी अन्य देशों से आयात के योग के रूप में विचार किया है।

55. यह देखा गया है कि जांच अवधि के दौरान आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि हुई है।

(ii) संबद्ध देशों से आयात की मात्रा

56. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार संबद्ध देशों से आयात की मात्रा पर भरोसा किया है। वास्तविक स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	**यूओएम**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**पीओआई**
समग्र रूप से संबद्ध देश	एमटी	246	135	63	0
अन्य देश	एमटी	83	120	9	52
निम्न के संबंध में संबद्ध देश से आयात					
खपत	%	***%	***%	***%	***%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	59	25	0
भारतीय उत्पादन	%	***%	***%	***%	***%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	57	28	0
कुल आयात	%	75	53	88	0

57. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयात में समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से गिरावट आई है। इसके अलावा, वर्तमान पीओआई में संबद्ध देशों से उत्पाद का कोई आयात नहीं हुआ है।

ज.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

(i) कीमत कटौती

58. चूंकि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के कोई ज्ञात आयात नहीं हुए हैं, इसलिए यह निष्कर्ष है कि संबद्ध आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं हुई है।

(ii) कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

59. यह निर्धारित करने के लिए क्या घरेलू उद्योग कीमतों पर ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव से ग्रस्त है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की लागत और कीमतों की प्रवृत्ति पर विचार किया है। तथापि, चूंकि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का कोई ज्ञात आयात नहीं हुआ है, इसलिए यह निष्कर्ष प्रस्तावित है कि संबद्ध आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोई ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव नहीं पड़ा है। नीचे तालिका में बाजार में घरेलू उद्योग की लागत और कीमतों के रुझानों के संबंध में वास्तविक स्थिति दर्शाई गई है।

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
बिक्री लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	99	133
बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	88	113

60. यह देखा गया है कि उत्पादन लागत में वृद्धि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि में पूरी तरह प्रदर्शित नहीं होती है। तथापि, घरेलू उद्योग ने बताया है कि विदेशी उत्पादकों द्वारा शुल्क समाप्ति की स्थिति में घरेलू बाजार में क्षतिकारी कीमत पर उत्पाद का पाटन करने की संभावना है, और यदि ऐसा होता है, तो बाजार में कीमत ह्रास होगा जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होगी।

ज.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

61. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके अनुरोधों में किए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों पर वस्तुनिष्ठ ढंग से विचार करते हुए क्षति मापदंडों की जांच की है।

(i) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

62. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग को नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	**यूओएम**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**पीओआई**
क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	117	117
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	91	97
क्षमता उपयोग	%	***%	***%	***%	***%
प्रवृत्ति	%/सूचीबद्ध	100	81	77	83
घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	81	103	114
निर्यात बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	91	94

63. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने 2019-20 में अपनी स्थापित क्षमता में वृद्धि की है। उत्पादन और क्षमता उपयोग में 2020-21 तक गिरावट आई और पीओआई में वृद्धि हुई है। घरेलू बिक्री मात्राएं 2019-20 तक कम हुई है और उसके बाद पीओआई तक बढ़ी हैं।

(ii) मांग में बाजार हिस्सा

64. घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादक, संबद्ध देशों और अन्य देशों से आयात का बाजार हिस्सा नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	**यूओएम**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**पीओआई**

सभी स्रोतों से आयात	%	0.34%	0.28%	0.07%	0.82%
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	***%	***%	***%	***%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	102	108
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्रियां	%	***%	***%	***%	***%
प्रवृत्ति	सूचीब	100	108	99	95

65. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग का हिस्सा 2019-20 में कम हुआ है परंतु उसके बाद बढ़ा है। संबद्ध आयातों का हिस्सा पूरी क्षति अवधि में शून्य (1 प्रतिशत से कम) रहा है।

(iii) मालसूची

66. क्षति अवधि और पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	**यूओएम**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**पीओआई**
औसत मालसूची	एमटी	5,413	7,551	7,853	7,630
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	140	145	141

67. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान बढ़ी है और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में इसमें गिरावट आई है।

(iv) लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

68. पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का लाभ, लाभप्रदता, नकद लाभ, पीबीआईटी और निवेश पर आय नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	**यूओएम**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**पीओआई**
लाभ/हानि(पीबीटी)	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	74	48	41
कुल लाभ/हानि(पीबीटी)	लाख रु.	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	60	50	46
पीबीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	60	50	46
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	63	56	56
निवेश पर आय	%	***%	***%	***%	***%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	62	60	40

69. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ, पीबीआईटी और आरओआई में क्षति अवधि के दौरान लगातार गिरावट आई है।

(v) रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

विवरण	**यूओएम**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**पीओआई**
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	77	69
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	119	141

70. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के कर्मचारियों में क्षति अवधि में गिरावट आई है। तथापि, घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति अवधि में और विशेष रूप से पूर्ववर्ती वर्ष और आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में भारी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने बताया है कि ये मापदंड घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का प्रभाव नहीं दर्शाते हैं।

(vi) वृद्धि

71. यद्यपि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की समग्र वृद्धि, मात्रा और कीमत मापदंडों के संबंध में ऋणात्मक रही थी, परंतु मात्रा मापदंडों में वृद्धि पीओआई में सकारात्मक हुई, कीमत मापदंडों में वृद्धि ऋणात्मक रही है।

(vii) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

72. पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग ने वास्तविक क्षति होने का दावा किया है।

(viii) क्षति मार्जिन की मात्रा

73. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की है। पीयूसी की क्षति रहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। इस एनआईपी पर क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना हेतु विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यही व्यवहार सुविधाओं के साथ भी किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई असाधारण या गैर-आवर्ती व्यय उत्पादन लागत में नहीं जोड़े जाएं। नियमावली के अनुबंध-III मे यथा विहित विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात औसत निवल स्थिर परिसंपत्तियां, औसत कार्यशील पूंजी) पर एक तर्क संगत आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) की क्षति रहित कीमत ज्ञात करने हेतु कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी और उसका पालन किया गया। इस प्रकार निर्धारित एनआईपी पर क्षति मार्जिन की गणना हेतु विचार किया गया है।

74. चूंकि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के कोई आयात नहीं हुए हैं, इसलिए जांच अवधि के दौरान निर्यातों पर आधारित क्षति मार्जिन की गणना नहीं की गई है। तथापि, प्राधिकारी ने संभावना जांच के लिए परिकलित एनआईपी पर भरोसा किया है।

झ. <u>कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण</u>

75. प्राधिकारी ने संबद्ध आयातों से इतर ऐसे किसी अन्य ज्ञात कारक की जांच की है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति, यदि कोई हो, के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जाए। इस संबंध में संगत कारकों में अन्य के साथ-साथ पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमत मांग में संकुचन या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रभाएं और घरेलू तथा विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और उत्पादकता शामिल हैं। प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या पाटित आयातों से इतर कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

76. यह देखा गया है कि अन्य देशों से मामूली आयात हुए हैं। इस प्रकार, तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकती है।

ख) मांग में संकुचन

77. यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई में वृद्धि हुई है।

ग) खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

78. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत की प्रवृत्ति में किसी वास्तविक परिवर्तन (नों) के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

घ) प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच से प्रतिस्पर्धा की दशाओं में किसी परिवर्तन या किसी व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा का पता नहीं चला है।

ड.) प्रौद्योगिकी में विकास

80. किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा मौजूदा प्रौद्योगिकी में किसी विकास/परिवर्तन का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

च) घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य-निष्पादन

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की गई क्षति संबंधी सूचना केवल घरेलू उद्योग के घरेलू बाजार के अनुसार उसके निष्पादन से संबंधित है। इस प्रकार, इसके लिए घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

छ) अन्य उत्पादों का निष्पादन

82. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने उन्हें स्वीकार किया है। आवेदकों द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों के निष्पादन पर विचार नहीं किया गया है।
83. किसी भी तरह, प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदकों को संबद्ध आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है।

ञ. <u>पाटन और क्षति के जारी रहने/उनके पुनरावृत्ति होने की संभावना</u>

ञ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकार के अनुरोध</u>

84. अन्य हितबद्ध पक्षकारो द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) में पाटन, उपलब्ध क्षमता, कीमत प्रभाव की दर और मालूसची जैसे कारकों का आकलन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। *जिंदल सॉ लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट*

प्राधिकारी [2021 (376) ईएलटी 107 (टीआरआई-दिल्ली)], *हुबई ट्राई-रिंग फोरजिंग कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [2016 (342) ईएलटी 473 (टीआरआई-दिल्ली)], और निरमा लिमिटेड बनाम भारत संघ [2017 (358) ईएलटी 146 (गुजरात)* का भी उल्लेख किया गया है।

ख. आयातों में काफी अधिक वृद्धि की संभावना की कोई मान्यता नहीं की गई है क्योंकि कोई संबद्ध आयात नहीं हैं।

ग. मागोटियाक्स के संयंत्र केवल भारत को समर्पित नहीं हैं और पाटनरोधी शुल्क लगाने के दस वर्ष के दौरान अनेक बाजारों के लिए विकसित किए गए हैं।

घ. घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध क्षमता और उनके द्वारा किया गया अतिरिक्त विस्तार यह दर्शाता है कि पाटन का कोई खतरा नहीं है।

ड. घरेलू उद्योग द्वारा भागीदारी या प्रस्ताव के संबंध में कोई सूचना निर्यातकों के पास उपलब्ध नहीं है।

च. निर्यातक ने मूल जांच और एसएसआर के बाद से तीसरे देश के बाजार में भारी वृद्धि की है।

छ. मागोटियाक्स इंडिया से यह पता चला है कि कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पाद भारत में स्थानीय रूप से स्वतंत्र पक्षकारों द्वारा ठेके पर बनाए गए थे।

ज. सार्वजनिक सुनवाई के दौरान मागोटियाक्स इंडिया के कंट्री मैनेजर की उपस्थिति के संबंध में व्यापार सूचना सं. 11/2018 का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्राधिकारी ने किसी भी पक्षकार, चाहे हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत हो अथवा नहीं, को सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने और प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां देने की स्पष्ट रूप से अनुमति दी है।

झ. मागोटेक्स इंडिया और मागोटेक्स थाइलैंड संबंधित सामूहित कंपनियां हैं परंतु एक दूसरे को नियंत्रित नहीं करती हैं। मागोटेक्स थाइलैंड के पास मागोटेक्स इंडिया की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

ञ. मागोटेक्स इंडिया के लिए वर्तमान जांच में सहयोग करना अपेक्षित नहीं है क्योंकि (i) वे पीयूसी के संबद्ध देश में निर्यातक नहीं हैं, (ii) उन्होंने पीओआई

में पीयूसी का आयात नहीं किया है और (iii) वे वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकार के रूप में नामांकित नहीं हैं। *एलिमा मैटिरियल्स टेक्नोलॉजी (जियांगसु) कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ [डब्ल्यू. पी. (सी) 12894/2022 में दिनांक 6 सितंबर, 2022 के आदेश]* का उल्लेख किया गया है।

ट. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत कीमत ऑफर त्रुटिपूर्ण और मनगढंत हैं।

ठ. कंपनी के पास मानकीकृत उत्पादों की *** एमटी मालसूची (31 मार्च, 2022 के अनुसार) है और गैर-मानकीकृत उत्पाद आदेशों के तहत विनिर्मित और आपूर्ति किए गए हैं।

ड. चूंकि मूल जांच के बाजार जहां पर बिक्री में वृद्धि हुई है मध्य-पूर्व (2219%), यूरोप (1541%), आस्ट्रेलिया (452%) और दक्षिण अमेरिका (214%) हैं।

ढ. पूर्ववर्ती जांच से बिक्री में वृद्धि वाले बाजारों में दक्षिण अमेरिका (7349%) और आस्ट्रेलिया (259%) शामिल हैं।

ण. मागोटेक्स इंडिया से मांगी गई सूचना की प्रकृति की वर्तमान जांच में कोई प्रासंगिकता नहीं है और वे मागोटेक्स इंडिया के व्यापार गुप्त सूचना है।

ञ.2 <u>घरेलू उद्योग के अनुरोध</u>

85. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. वर्तमान अवधि में आयातों में गिरावट पाटनरोधी शुल्क लागू होने के कारण आई है। यदि शुल्क समाप्त होता है तो भारी मात्रा में पाटन पुन: शुरु हो जाएगा।

ख. संबद्ध देशों के उत्पादकों का पाटन का इतिहास रहा है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है और उसके पास इस्पात और एलुमिना खनन में उत्पादन और परिवर्तन लागत में पर्याप्त बढ़त है जो भारत को संबद्ध वस्तु का एक लाभकारी बाजार बनाती है।

ग. विदेशी उत्पादकों के पास मुक्त रूप से निपटान योग्य और संभावित क्षमताएं हैं। विचाराधीन उत्पाद संबंधी हाल में समाप्त हुई एसएसआर में आस्ट्रेलियाई आयोग द्वारा चीन में अधिकृत क्षमता देखी गई है।

घ. संबद्ध देशों में उत्पादक काफी अधिक निर्यातोन्मुख हैं और दूसरे देशों को भारी पाटन कर रहे हैं।

ड. चूंकि संबद्ध वस्तु का कोई आयात नहीं हुआ है इसलिए मागोटेक्स इंडिया बाजार में घरेलू रूप से उत्पादित उत्पादों का उद्गम बताए बिना अपने उपभोक्ताओं को बनाए रखने का प्रयास कर रहा है।

च. मेगोटेक्स इंडिया पाटित और क्षतिकारी कीमत पर उत्पाद की पेशकश करके भारतीय बाजार में ब्रांड स्थापित करने का प्रयास कर रहा है।

छ. जैसा कि प्रस्तावों से देखा जा सकता है, मागोटेक्स इंडिया रायपुर, छत्तीसगढ़ की भांडागार-द्वार कीमतों पर उपभोक्ताओं को उत्पाद की पेशकश कर रहा है। दिए गए ऑफर के अनुसार निर्धारित पाटन और क्षति मार्जिन निम्नानुसार काफी अधिक है:

क. पूर्ववर्ती पेशकश:

विवरण	मात्रा	पाटन मार्जिन		श्रेणी	क्षति मार्जिन		श्रेणी
	(एमटी)	(डॉ./एमटी)	%		(डॉ./एमटी)	%	
पेशकश1	***	***	***%	100-110	***	***%	20-30
पेशकश 2	***	***	***%	60-70	***	***%	0-10
पेशकश 3	***	***	***%	180-190	***	***%	50-60
पेशकश 4	***	***	***%	80-90	***	***%	10-20
कुल	***	***	***%	**80-90**	***	***%	**10-20**

ख. वर्तमान पेशकश:

विवरण	**मात्रा**	**पाटन मार्जिन**		**श्रेणी**	**क्षति मार्जिन**		**श्रेणी**
	(एमटी)	(डॉ./एमटी)	%		(डॉ./एमटी)	%	
पेशकश1	***	***	***%	10-20	***	***%	10-20
पेशकश 2	***	***	***%	20-30	***	***%	20-30
पेशकश 3	***	***	***%	10-20	***	***%	10-20
पेशकश 4	***	***	***%	10-20	***	***%	20-30
कुल	***	***	***%	**10-20**	***	***%	**20-30**

ज. प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा मागोटेक्स की कीमत के बराबर अपनी कीमत को कम करने की स्थिति में घरेलू उद्योग के संभावित निष्पादन की

जांच करनी चाहिए। यह देखा जाए कि घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घाटा और निवेशों पर ऋणात्मक आय से नुकसान झेलना पड़ेगा, जैसा कि नीचे तालिका में देखा जा सकता है:

विवरण	**यूओएम**	**वास्तविक**	**पेशकश कीमत के अनुसार**
प्रति यूनिट निवल बिक्री वसूली	रु./एमटी	***	***
पीबीटी (कर पूर्व लाभ)	रु./एमटी	***	(***)
पीबीआईटी (ब्याज और कर पूर्व लाभ)	रु./एमटी	***	(***)
नकद लाभ (पीबीटी+ मूल्यह्रास)	रु./एमटी	***	(***)
औसत नियोजित पूंजी (आरओआई) के प्रतिशत रूप में पीबीआईटी	%	***%	(***)%

झ. मागोटेक्स ने तीसरे देश को पाटन किया है जिससे भारी कीमत कटौती संभावित आदेशों का नुकसान और अनेक देशों को कीमत क्षति हुई है।

ञ. जैसा कि इक्यूआर में बताया गया है भारत में पीयूसी पर पाटनरोधी शुल्क के आदेश के परिणाम स्वरूप प्रतिवादी ने 72 बाजार विकसित किए हैं। इसके अलावा, शुल्क समाप्ति की स्थिति में कंपनी का इरादा केवल भारत को निर्यात करने का है।

ट. प्रतिवादी ने भारतीय बाजार में इरादतन बिक्री के बावजूद उत्पादन क्षमता में किसी बदलाव का दावा नहीं किया है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उनके पास अप्रयुक्त क्षमताएं हैं, वे भारत को अन्य बाजारों के उत्पाद बेचना चाहते हैं और भारतीय बाजार काफी कीमत आकर्षक हैं।

ठ. आवेदकों के संभावित और आशंकित निष्पादन के आकलन से पता चलता है कि घरेलू उद्योग पाटन की अनुपस्थिति में काफी बेहतर कर सकता था और यदि शुल्क समाप्त होता है तो उसे नुकसान हो सकता है।

ड. प्रतिवादी के इस तर्क के संबंध में कि कोई संभावना निर्धारित नहीं हो सकती है क्योंकि आयातों की मात्रा शून्य तक कम रही है, यह बताया गया है कि पाटन और क्षति की भरपाई लागू शुल्क द्वारा की गई है। इसके अलावा,

पीओआई के दौरान आयातों में कमी से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि शुल्क हटने पर बाजार में आयातों की भरमार हो जाएगी।

ढ. इस तर्क के संबंध में कि मागोटेक्स का संयंत्र केवल भारत को आपूर्ति के लिए समर्पित नहीं है, प्रतिवादी ने स्वयं बताया है कि जब शुल्क लागू हुआ तो उन्होंने क्षमताओं के उपयोग के लिए 72 से अधिक बाजार तैयार किए। लाजिस्टिक्स आर्थिक रूप से भारत 46 अन्य देशों की तुलना में प्रतिवादियों के लिए अधिक आकर्षक है जिन्हें मागोटेक्स की अन्य विनिर्माण इकाइयों द्वारा पहले से आपूर्ति की जा रही है तथा जो इस क्षेत्र के आस-पास हैं।

ञ.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

86. चूंकि किसी संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का कोई ज्ञात आयात नहीं है, इसलिए प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि क्या एडीडी हटाने पर पाटन की पुनरावृत्ति होने की आशंका है और यदि ऐसा होता है तो क्या घरेलू उद्योग को उससे क्षति होने की संभावना है। आवेदकों ने अपनी याचिका में पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना के साक्ष्य दिए हैं और जांच के दौरान उन्हें संपूरित किया है और यह अनुरोध किया है कि उनसे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों और रिकॉर्ड में साक्ष्य की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है। प्राधिकारी ने, धारा 9क(5), नियम 23 में निर्धारित अपेक्षाओं और नियमावली के अनुबंध-II(vii) और रिकॉर्ड में लाए गए अन्य संगत कारकों के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे संबंधी मापदंडों पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच की है। चूंकि वर्तमान जांच इस समय लागू पाटनरोधी शुल्क की एक निर्णायक समीक्षा जांच है और नियमावली के अन्तर्गत प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटनरोधी शुल्क को लागू रखना आवश्यक है।

87. ऐसा कोई संभावना विश्लेषण करने की कोई विशिष्ट पद्धति उपलब्ध नहीं है। तथापि, नियमावली के अनुबंध-II के खंड (vii) में अन्य बातों के साथ-साथ उन कारकों का उल्लेख है जिन पर विचार करना अपेक्षित है, अर्थात;

i. भारत में पाटित आयातों की अत्यधिक वृद्धि दर जिससे काफी अधिक आयात की संभावना का पता चलता हो।

ii. निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य, या आसन्न, पर्याप्त वृद्धि की संभावना, जो किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए

अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता पर विचार करते हुए भारतीय बाजारों में काफी पाटित निर्यातों की संभावना दर्शाती हो।

iii. क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनसे घरेलू कीमतों पर अत्यधिक ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और उनसे आयातों के लिए मांग में और अधिक वृद्धि होने की संभावना होगी।

iv. वस्तु की मालसूची की जांच की जा रही है।

88. प्राधिकारी ने, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एडीडी हटने पर पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना है और यदि हां तो क्या उससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। इसके अलावा, प्राधिकारी विचार करते हैं कि उपर्युक्त मापदंडों को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लागू करना अपेक्षित है कि पहले से एडीडी लागू था। अत:, प्राधिकारी ने उपर्युक्त मापदंडों पर विचार करते हुए जांच की है कि क्या एडीडी की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होने का काफी अधिक खतरा है।

क. **तीसरे देशों को निर्यातों के संबंध में पाटन**

89. घरेलू उद्योग ने यह दलील दी है कि संबद्ध उत्पादक अनेक तीसरे देशों को उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं और यह निर्यात पाटित कीमतों पर हैं। यद्यपि चीन के उत्पादकों से कोई उत्तर नहीं मिला है परंतु एकमात्र थाई उत्पादक ने उत्तर दिया है और संगत सूचना दी है। प्राधिकारी ने वैश्विक रूप से विभिन्न देशों को संबद्ध देशों से निर्यात की जांच की है और यह निर्धारित किया है कि क्या ये निर्यात पाटित और क्षतिकारी कीमत पर हुए हैं। तत्पश्चात, प्राधिकारी ने वैश्विक रूप से विभिन्न देशों को निर्यातों की मात्रा निर्धारित की है और पाटित और क्षतिकारी कीमत पर निर्यात की मात्रा निर्धारित की है। प्राधिकारी ने यह पता लगाने के लिए कि क्या निर्यातकों को भारतीय बाजार में प्रचलित कीमतों और उन कीमतों, जिन पर निर्यातक तीसरे देशों को बिक्री कर रहे हैं, के अनुसार भारतीय बाजार को पर्याप्त आकर्षक लगने की संभावना है, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ इन निर्यातों की तुलना भी की है। सारांश स्थिति निम्नानुसार है:

	समग्र मात्रा		**भारतीय खपत के संबंध में**	
विवरण	**ईक्यूआर के**	**ट्रेड मैप डाटा के**	**ईक्यूआर के**	**ट्रेड मैप डाटा के**

	अनुसार	अनुसार		अनुसार	अनुसार	
	मैगोटेक्स	**थाइलैंड**	**चीन**	**मैगोटेक्स**	**थाइलैंड**	**चीन**
	(एमटी)	(एमटी)	(एमटी)	(%)	(%)	(%)
सामान्य मूल्य से नीचे तीसरे देशों को निर्यात की मात्रा	***	***	***	81.49%	91.33%	54.47%
एनआईपी के नीचे तीसरे देश के निर्यात की मात्रा	***	***	***	10.31%	1.69%	6.44%
भारत में प्रचलित बिक्री मूल्य से नीचे तीसरे देश के निर्यात की मात्रा	***	***	***	13.98%	1.61%	13.73%

90. उपरोक्त तालिका से निम्नलिखित देखा जा सकता है:

i. निर्यातक द्वारा *** मीट्रिक टन निर्यात पाटन की गई कीमत पर है जो कुल भारतीय मांग का 81.49% है। निर्यातक की घोषित क्षमता *** मीट्रिक टन है। यह इंगित करता है कि लगभग 89% निर्यात पाटित कीमतों पर हैं और निर्यातक भारी नुकसान पर निर्यात कर रहे हैं।

ii. निर्यातकों द्वारा *** मीट्रिक टन निर्यात क्षतिकारक कीमत पर है। निर्यात की यह हानिकारक मात्रा कुल भारतीय मांग का 10.31% है।

iii. निर्यातक द्वारा *** मीट्रिक टन निर्यात उस कीमत से कम कीमत पर किया जा रहा है जिस पर भारतीय बाजार में माल बेचा जा रहा है। निर्यातकों को निर्यात की इस मात्रा को भारत में मोड़ने के लिए भारतीय बाजार आकर्षक लगेगा, खासकर जब यह घाटा कर रहा हो। निर्यात की यह कीमत आकर्षक मात्रा भारतीय मांग का लगभग 14% है।

91. इस प्रकार यह देखा गया है कि निर्यातक पूरी दुनिया में अत्यधिक निर्यात उन्मुख और डंपिंग माल है। पाटित और क्षतिपूर्ण कीमतों पर भारी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है । निर्यातक को भारी घाटा हो रहा है। पाटित, क्षतिपूर्ण और कीमत आकर्षक तीसरे देश का निर्यात भारतीय मांग के संबंध में महत्वपूर्ण है और घरेलू बाजार में व्यवधान पैदा करने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार , शुल्क समाप्त करने से पाटित और क्षतिपूर्ण कीमत पर भारत को निर्यात की भारी मात्रा होने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होगी ।

ख. भारतीय बाजार में दिए गए कीमत प्रस्ताव

92. आवेदकों ने चीनी उत्पादकों द्वारा कीमत की पेशकश के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है । आवेदकों ने मैगोटॉक्स इंडिया द्वारा दिए गए कई मूल्य प्रस्तावों का उत्पादन किया है। कुछ मूल्य ऑफ़र मूल देश को थाईलैंड के रूप में दर्शाते हैं। जांच के दौरान, निदेशालय ने 10 कंपनियों से संपर्क किया, जिन्हें कथित तौर पर मैगोटॉक्स इंडिया से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। 10 कंपनियों में से 5 कंपनियों ने निदेशालय को सूचित किया है कि संबद्ध वस्तुओं की बिक्री के लिए मैगोटॉक्स समूह द्वारा उनसे संपर्क किया गया है। यह भारत में संबद्ध वस्तुओं को बेचने के लिए मैगोटॉक्स ग्रुप के स्पष्ट इरादे को इंगित करता है। यह दोहराया जाता है कि निर्यातक द्वारा *** मीट्रिक टन निर्यात पाटित मूल्य पर है जो कुल भारतीय मांग का 81.49% है। निर्यातक की घोषित क्षमता *** मीट्रिक टन है। यह इंगित करता है कि लगभग 89% निर्यात पाटित कीमतों पर है और निर्यातक भारी नुकसान पर निर्यात कर रहा है। निर्यातकों द्वारा निर्यात का *** मीट्रिक टन हानिकारक कीमत पर है। इसके अलावा, निर्यात की यह हानिकारक मात्रा कुल भारतीय मांग का 10.31% है। इसलिए यह देखा गया है कि इस बात की संभावना है कि विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में, प्रतिवादी निर्यातक/उत्पादक भारतीय बाजार में पाटन शुरू कर देगा जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होगी।
93. इसके अलावा, प्राधिकारी ने मागोटेक्स थाइलैंड और आवेदकों द्वारा पहचाने गए अनेक उपभोक्ताओं को इन प्रस्तावों के ब्यौरे देने के लिए लिखा है। मागोटेक्स थाइलैंड को पूर्ववर्ती एसएसआर के बाद तीसरे देशों के बाजारों में गंवाए गए ऑर्डर, मालसूची, विकसित बाजारों तथा उसकी संबंधित भारतीय कंपनी मागोटेक्स इंडिया को किए गए कीमत प्रस्तावों के ब्यौरे देने का निदेश दिया गया था। मागोटेक्स थाइलैंड ने कुछेक प्रश्नों का उत्तर दिया और अन्य के संबंध में अपने पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं होने का दावा किया। इस पर निम्नानुसार विस्तार से विचार किया जा रहा है;
94. मागोटेक्स के इस दावे के संबंध में कि आवेदकों द्वारा प्रदत्त कीमत प्रस्तावों के संबंध में उनके पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मागोटेक्स

इंडिया के प्रस्तावों में "मागोटेक्स समूह" के रूप में प्रस्ताव स्पष्ट रूप से दर्शाने वाली पर्याप्त सूचना है और इसमें भारतीय बाजार से उत्पाद को खरीदने या उससे थाइलैंड में उद्गम पर आधारित कोई कीमत प्रस्ताव नहीं है। मागोटेक्स थाइलैंड और मागोटेक्स इंडिया, दोनों ने सार्वजनिक सुनवाई में हिस्सा लिया था और मागोटेक्स इंडिया के प्रतिनिधि ने यह विवरण दिया कि बाजार में ऐसे अनेक प्रस्ताव थे। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मागोटेक्स इंडिया द्वारा दिए गए प्रस्ताव की भाषा मागोटेक्स के उत्पाद की आपूर्ति की ओर संकेत करती है।

95. मागोटेक्स थाइलैंड के इस वक्तव्य के संबंध में कि उसके पास मागोटेक्स इंडिया और मागोटेक्स इंडिया के पास उसका कोई नियंत्रण नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मागोटेक्स थाइलैंड ने एक "संबद्ध कंपनी" के रूप में मागोटेक्स इंडिया की पहचान की है। इसके अलावा, यद्यपि प्रश्नावली में मागोटेक्स इंडिया के बारे में सूचना अपेक्षित है, तथापि निर्यातकों ने बताया है कि पीओआई में आयातों की अनुपस्थिति के मद्देनजर इसकी कोई जरूरत नहीं है। तथापि निर्यातक ने तीन श्रृंखलाएं बताई हैं और मागोटेक्स इंडिया के ज़रिए तथा बिक्री चैनल के रूप में मागोटेक्स इंडिया द्वारा सीधी खरीद और बिक्री की पहचान की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान अवधि के दौरान उत्पाद का स्वीकृत रूप से कोई आयात नहीं हुआ है और इसलिए प्राधिकारी को संभावना निर्धारित करना अपेक्षित है, जहां एडीडी हटाने पर संभावित आयातों का होना महत्वपूर्ण और संगत है। वितरण के संबंध और चैनल को देखते हुए, मागोटेक्स इंडिया के उत्तर संगत और आवश्यक थे। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाद की उसकी प्रस्तावित कीमत और आपूर्ति के दावों के सत्यापन के लिए मागोटेक्स इंडिया के बारे में सूचना मांगी थी। यह इस तथ्य के मद्देनजर महत्वपूर्ण है कि मागोटेक्स इंडिया द्वारा प्रदत्त प्रस्ताव मागोटेक्स समूह के बारे में काफी उल्लेख करते हैं। मागोटेक्स इंडिया ने अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया कि *"अपने स्थापना कार्यकलाप के 100 वर्ष मनाते हुए.......मागोटेक्स ने ग्राइडिंग इंडिया के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है और ....500,000 एमटी से अधिक की विश्व-व्यापी क्षमता के साथ मागोटेक्स ने विश्व भर में अनेक विभिन्न उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने और विशिष्ट रूप से अनुकूल अलॉय की व्यापक रेंज प्रदान करने के लिए एक सफल ट्रैक रिकॉर्ड हासिल किया है और समेकित किया है....., क्योंकि हम प्रत्येक महाद्वीप में मौजूद एक विश्व-व्यापी समूह से संबंधित हैं, हम समय पर वस्तुओं की विधिवत् निकासी के साथ सही प्रेषकों सहित समय पर आपूर्ति करने के, सही निरीक्षण करने और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और मालभाड़ा लागत को ईष्टम बनाने के सर्वाधिक कारगर तरीके जानते हैं; अपने भली-भांति फैले विनिर्माण नेटवर्क के साथ.....अनुरोध करने पर उद्गम स्रोत को अनुकूल बनाया जा सकता है और आपकी अपेक्षाएं पूरी करने की योजना बनाई जा सकती है। हम भूगोल और राजनीतिक अस्थिरता पर ध्यान दिए*

बिना लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं।" प्रतिवादी निर्यातक ने दावा किया है कि ये दोनों समूह कंपनियां एक दूसरे को नियंत्रित नहीं करती हैं और इसलिए मागोटेक्स इंडिया संबंधी सूचना प्रस्तुत नहीं की जा सकता है। तथापि, यह नोट किया गया है कि मागोटेक्स थाइलैंड ने मागोटेक्स इंडिया की एक संबद्ध कंपनी के रूप में पहचान की है और तीन में से उन दो चैनलों की पहचान की है जिनमें मागोटेक्स इंडिया शामिल है। इसके अलावा, मागोटेक्स इंडिया के निदेशक ने सार्वजनिक सुनवाई में हिस्सा लिया और ऐसे वक्तव्य दिए जो मागोटेक्स इंडिया तक सीमित नहीं थे और मागोटेक्स थाइलैंड तक विस्तृत थे। यह भी देखा गया है कि मागोटेक्स इंडिया के प्रस्तावों में समूह का काफी उल्लेख किया जाता है और उसमें समूह के ब्यौरे, उनके 100 वर्ष के अनुभव, विश्व-व्यापी विनिर्माण नेटवर्क आदि का उल्लेख किया गया है। प्राधिकारी यह नहीं मानते हैं कि मागोटेक्स थाइलैंड, मागोटेक्स इंडिया से असंबद्ध होने का दावा कर सकता है। इसके अलावा, मागोटेक्स इंडिया द्वारा किए गए प्रस्तावों का तरीका और मागोटेक्स थाइलैंड द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली का उत्तर (एडीडी के कारण निर्यातों की गैर-मौजूदगी, एडीडी हटने पर आपूर्ति करने की इच्छा, सुनवाई में भागीदारी और सुनवाई के समय मौखिक रूप से दिए गए विवरणों आदि में बताते हुए) मागोटेक्स थाइलैंड को प्राधिकारी को संगत सूचना देने से मुक्त नहीं कर सकते हैं। चूंकि इन प्रश्नों का उद्देश्य एडीडी हटाने पर पाटन की संभावना का पता लगाना था, इसलिए सूचना को संगत आवश्यक माना गया था। विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन या बिक्री में शामिल संबंधित पक्षकार से कोई उत्तर मांगना प्राधिकारी की प्रक्रिया रही है। मागोटेक्स थाइलैंड ने मागोटेक्स इंडिया से संबंधित संगत सूचना नहीं दी है। अतः, प्राधिकारी रिकॉर्ड या अन्यथा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना और दस्तावेजों पर आधारित तथ्यों को सिद्ध करने पर बाध्य हैं।

96. भारतीय उपभोक्ताओं को मागोटेक्स इंडिया से खरीद/कीमत के ब्यौरे, संबद्ध वस्तु के विनिर्माता के ब्यौरे देने तथा मागोटेक्स इंडिया और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत उत्पाद में अंतर के ब्यौरे देने का निदेश दिया गया था। प्राधिकारी द्वारा दस उपभोक्ताओं की नीति में से पांच ने यह उत्तर दिया कि मागोटेक्स ने पीयूसी की बिक्री के लिए उनसे संपर्क किया था।

97. प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को पढ़ा है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के आरोपों का खंडन करने के लिए प्रतिवादी निर्यातक को अवसर दिया है और मागोटेक्स द्वारा बिक्री, खरीद और प्रस्तावों के ब्यौरे मांगे हैं परंतु निर्यातक द्वारा मांगी गई सूचना नहीं दी गई है। प्राधिकारी द्वारा संपर्क किए गए कुछ उपभोक्ताओं ने इस बात की पुष्टि की है कि मागोटेक्स ने पीयूसी की बिक्री के लिए उनसे संपर्क किया है। अतः, प्राधिकारी घरेलू उद्योग के अनुरोधों को नोट करते हैं कि:

i. मागोटेक्स इंडिया भारत में मागोटेक्स थाइलैंड का बिक्री स्कंध है। घरेलू उद्योग ने मागोटेक्स इंडिया द्वारा भारतीय या थाई उत्पाद अपने बाजार को स्थापित करने के मद्देनजर प्रस्तुत करने की दलील इसलिए दी है ताकि वह एडीडी हटने तक भारी मात्रा में निर्यात कर सके। मागोटेक्स थाइलैंड ने स्पष्ट किया है कि उसने भारत में निर्मित उत्पाद की आपूर्ति की है। अपने प्रश्नावली के उत्तर में मागोटेक्स थाइलैंड ने एडीडी हटने पर उत्पाद का निर्यात करने का अपना इरादा भी बताया है।

ii. मागोटेक्स इंडिया द्वारा प्रस्तावित कीमतों में उत्पाद प्रकार प्रस्तुत मात्रा, कीमत आधार आदि सहित विस्तृत सूचना दी गई है।

iii. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि ये कीमतें एक सांकेतिक कीमत हैं जिन पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में मैगोटॉक्स थाईलैंड भारत को निर्यात कर सकता है ।

ख. मुक्त रूप से निपटान योग्य उत्पादन क्षमता

98. घरेलू उद्योग ने दलील दी है कि चीन और थाइलैंड के उत्पादकों के पास भारी मुक्त रूप से निपटान योग्य उत्पादन क्षमता है। निर्यात और घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना की विस्तार से जांच की गई है। निम्नलिखित अवलोकन किया गया है:

i. यद्यपि घरेलू उद्योग का तर्क है कि थाई उत्पादक के पास 1,40,000 एमटी की उत्पादन क्षमता है परंतु मागोटेक्स थाइलैंड द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर में उनकी क्षमता *** एमटी दर्शाई गई है।

ii. यद्यपि घरेलू उद्योग ने पीओआई के दौरान थाइलैंड से 93,217 एमटी की कुल निर्यात मात्रा बताई है परंतु मागोटेक्स द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में निर्यात मात्रा *** एमटी दर्शाई गई है।

iii. थाइलैंड के उत्पादक के पास वर्तमान पीओआई के दौरान *** प्रतिशत क्षमता उपयोग है।

99. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अपने अनुरोध में मागोटेक्स ने बताया है कि चूंकि मूल जांच के बाजार जहां बिक्री में वृद्धि हुई है, मध्य पूर्व, यूरोप, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका हैं। इसके अलावा, चूंकि पूर्ववर्ती जांच से दक्षिण अमेरिका और आस्ट्रेलिया में बिक्री में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि निर्यातक ने यह बताया है

कि उसने वैश्विक रूप से बड़ी संख्या में बाजार बना लिए हैं परंतु उसने अपने इक्यूआर में यह भी बताया है कि वैश्विक बाजार में उसकी समूची बिक्री ऑन स्पाट आधार पर होती हैं। इस प्रकार, इन बाजारों को ऑन स्पॉट बाजार के रूप में विकसित किया गया है और निर्यातक ने इन बाजारों हेतु आपूर्ति के लिए क्षमताओं के किसी हिस्से की वचनबद्धता नहीं की है। अतः, घरेलू खपत (*** एमटी से कम की) को छोड़कर निर्यातक की संपूर्ण क्षमता भारत सहित किसी भी वैश्विक बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह देखा गया है कि निर्यातक की 90 प्रतिशत से अधिक क्षमता किसी बाजार के लिए मुक्त रूप से निपटान योग्य है।

100. जहां तक चीन का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन के उत्पादकों/निर्यातकों ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने चीन की क्षमता और मांग का प्रमाण दिया है । हालांकि, सबूत जांच की अवधि से 8 साल पहले के हैं। प्राधिकारी यह मानते हैं कि यह साक्ष्य हाल का नहीं है और यह स्थापित करने के लिए जांच की अवधि के करीब है कि चीनी उत्पादकों के पास उनके पास मुक्त रूप से प्रयोज्य उत्पादन क्षमता काफी अधिक है ।

101. थाइलैंड में प्रतिवादी निर्यातक द्वारा यथा-प्रस्तुत संबद्ध वस्तु की क्षमता, उत्पादन और मांग निम्नानुसार है:

विवरण	**यूनिट**	**थाइलैंड**
क्षमता	एमटी	***
उत्पादन – पीयूसी	एमटी	***
उत्पादन – एनपीयूसी	एमटी	***
अप्रयुक्त क्षमता	एमटी	***
मांग	एमटी	***
मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता	एमटी	***
भारत में मांग	एमटी	1,01,841
भारतीय मांग के प्रतिशत में मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता	%	113%
भारतीय मांग के प्रतिशत में	%	18%

अधिशेष क्षमता		

102. तथापि, मागोटेक्स थाइलैंड ने अपनी क्षमता, उत्पादन लागत और बिक्री के संबंध में प्रश्नावली के अपने उत्तर में प्रस्तुत सूचना के समर्थन में कोई दस्तावेज नहीं दिया है। प्राधिकारी ने उस सूचना के आधार पर तथ्य सिद्ध किए हैं और उनके पास उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों पर विचार किया है।

103. इस प्रकार, रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि थाइलैंड में काफी अधिक अप्रयुक्त क्षमताएं हैं। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों के उत्पादकों द्वारा उनके तीसरे देश के निर्यातों को भारत में भेजे जाने की आशंका है।

i. भारतीय बाजार की आकर्षकता

104. घरेलू उद्योग ने यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि भारतीय बाजार चीन के उत्पादकों के लिए आकर्षक है। मागोटेक्स थाइलैंड का प्रश्नावली का उत्तर दर्शाता है कि कंपनी ने पिछले दस वर्षों के दौरान 70 के लगभग बाजार विकसित किए हैं। इसके अलावा, मागोटेक्स समूह की पांच देशों में उत्पादन सुविधाएं हैं। मागोटेक्स थाइलैंड के लिए इन कारणों से भारतीय बाजार सर्वाधिक आकर्षक है (क) भारत में बढ़ी हुई मांग (ख) कंपनी द्वारा विकसित अन्य बाजारों की तुलना में थाइलैंड से निकटता (ग) भारत में बिक्री स्कंध की मौजूदगी, (घ) मागोटेक्स इंडिया के वर्तमान व्यापार कार्यकलाप। इसके अलावा, मागोटेक्स थाइलैंड ने अपने संगत भाग में प्रश्नावली के निम्नलिखित उत्तर बताए हैं:

क. कंपनी विगत 10 वर्षों से लागू मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को हटाने के अधीन निकट भविष्य में भारत को पीयूसी का निर्यात करने का इरादा रखती है।

ख. कंपनी उत्पादन क्षमता, घरेलू बाजार पोतलदानों और अन्य बाजार (भारत से इतर) को निर्यातों में किसी परिवर्तन की उम्मीद नहीं करती है। तथापि, ऐसी आशा है कि कंपनी को भारतीय उपभोक्ताओं से कुछ ऑर्डर प्राप्त होंगे और उत्पादन में उतनी वृद्धि की जाएगी।

ग. कंपनी के पास किसी उपभोक्ता के साथ कोई दीर्घकालिक आपूर्ति संविदा नहीं है। सभी निर्यात ऑन स्पॉट बिक्रियां हैं।

ii. मालसूची

105. मागोटेक्स थाइलैंड ने *** एमटी (31 मार्च, 2022 के अनुसार) मानकीकृत उत्पादों की मालसूची की सूचना दी है। कंपनी ने यह भी बताया है कि गैर-मानकीकृत उत्पाद

ऑर्डरों के तहत विनिर्मित और आपूर्ति किए जाते हैं जबकि मानकीकृत उत्पादों को मालसूची से आपूर्ति किया जा सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और निर्यातकों, दोनों ने बताया है कि उत्पादन का काफी अधिक हिस्सा विशिष्ट ऑर्डरों के अधीन होता है। इन परिस्थितियों में, मानकीकृत उत्पादों की *** एमटी की मालसूची भारत में मानकीकृत उत्पाद के लिए उपलब्ध मांग को ध्यान में रखते हुए काफी अधिक है। यद्यपि सकल आधार पर भी मानकीकृत और गैर-मानकीकृत उत्पादों की मांग को अलग करने के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, तथापि *** एमटी की मालसूची भारत में लगभग एक माह की खपत के बराबर है और इसलिए काफी अधिक है।

106. घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यदि घरेलू उद्योग संभावित आयात की मात्रा की सीमा तक अपनी घरेलू बिक्री में कमी करता है तो उन्हें महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान, नकद हानि और निवेश पर नकारात्मक रिटर्न का सामना करना पड़ेगा। वैकल्पिक रूप से, यदि घरेलू उद्योग मैगोटॉक्स थाईलैंड के तीसरे देश के निर्यात मूल्य से मेल खाता है और आयात को रोकता है, तो घरेलू उद्योग की लाभप्रदता फिर से वित्तीय घाटे, नकद घाटे और निवेश पर नकारात्मक रिटर्न की स्थिति में आ सकती है। इस प्रकार, दोनों स्थितियों में, घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा, नकद घाटा और निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल का नुकसान होने की संभावना है, यदि वर्तमान शुल्कों को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है।

107. चीन के उत्पादकों द्वारा रखी गई मालसूचियों के संबंध में घरेलू उद्योग ने कोई सूचना नहीं दी है।

संभावना संबंधी निष्कर्ष

108. ऊपर यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य दिए गए हैं कि थाइलैंड के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क हटने पर पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की संभावना है। चीन के संबंध में प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त साक्ष्य संभावना सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

ट. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

109. अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. क्षति अवधि में कोविड-19 के प्रभाव के आलोक में शुल्क लागू करने से प्रभुत्व की स्थिति और एकाधिकारी बाजार सृजित होगा जिससे वस्तुओं की लागत गैर-किफायती और अत्यधिक हो जाएगी।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध कि संबद्ध आयातक कैसे उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में नहीं रखते हैं, अवैध है और तथ्यों से परे है। प्राधिकारी द्वारा इसकी अनदेखी की जानी चाहिए।

ग. मागोटेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भारत में उपभोक्ताओं की पसंद है। उन्हें अन्य गैर-सहयोगी घरेलू विनिर्माताओं से संविदा के अन्तर्गत विनिर्मित पीयूसी प्राप्त होती हैं। यह अवैध नहीं है, या नियमों की प्रवंचना नहीं है।

घ. शुल्क जारी रखने से आवेदकों के एकाधिकारी रवैये के अधीन भारतीय उपभोक्ताओं को क्षति होगी।

ट.2 <u>घरेलू उद्योग के अनुरोध</u>

110. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. वर्तमान जांच में आयातकों/प्रयोक्ताओं से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार भागीदारी नहीं करने से पता चलता है कि पाटनरोधी शुल्क बढ़ाने से भारतीय उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ख. अन्य घरेलू विनिर्माताओं से शुल्क को जारी रखने की मांग करते हुए समर्थन पत्र प्राप्त हुए हैं ताकि संबद्ध देशों से पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

ग. लागू शुल्क की अवधि घरेलू उद्योग के वित्तीय आंकड़े, क्षति अवधि में कीमत मापदंडों में गिरावट दर्शाती है कि घरेलू उद्योग बाजार में एकाधिकार में शामिल नहीं है या उसका प्रयास नहीं कर रहा है।

घ. शुल्क किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना पिछले दस वर्षों से लागू है। उपभोक्ताओं पर प्रभाव 0.02 प्रतिशत - 0.03 प्रतिशत के स्तर पर नगण्य हैं।

ड. घरेलू उद्योग के पास देश में संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक क्षमताएं हैं और संबद्ध आयात पूर्णत: अनावश्यक हैं। भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु की मांग - आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है।

च. शुल्क हटाने से सस्ते आयातों की बाढ़ आ जाएगी जो मौजूदा घरेलू उद्योग और अन्य घरेलू विनिर्माताओं को संबद्ध वस्तु से बाहर कर देगी।

छ. इस दलील के संबंध में कि मागोटेक्स इंडिया उपभोक्ताओं को पसंद है, यह अनुरोध किया गया है कि संबंधित कंपनी वर्तमान जांच में सहयोग करने में विफल रही है। इसके अलावा, इस दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य/समर्थन नहीं दिया गया है।

ज. मागोटेक्स ने बाजार में स्वयं को पुन: स्थापित करने के अपने प्रयास में उपभोक्ताओं के हित की अनदेखी करना जारी रखा है।

झ. इस दलील के संबंध में कि कोविड-19 का प्रभाव पड़ा है और शुल्क से एकाधिकार हो जाएगा, यह अनुरोध किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा कोई संगत कारक मात्रा या मौजूदगी संबंधी दस्तावेज नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा बाजार में अन्य घरेलू उत्पादकों की मौजूदगी यह सुनिश्चित करती है कि कोई प्रभुत्व या एकाधिकारी बाजार सृजित न हो।

ट.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

111. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओ और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करने के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की थी। प्राधिकारी ने उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभावों सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना देने हेतु उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी विहित की थी। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद के प्रति स्थापनीयता स्रोत बदलने की उपभोक्ताओं की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, और उन कारकों संबंधी सूचना मांगी है जिनसे पाटनरोधी शुल्क लागू होने से उत्पन्न नई स्थिति में समायोजन में शीघ्रता या देरी होने की संभावना है। विचाराधीन उत्पाद के किसी भी प्रयोक्ता या आयातक ने जांच शुरुआत अधिसूचना का उत्तर नहीं दिया है या प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

112. प्राधिकारी ने आर्थिक वित्त संबंधी एक प्रश्नावली विहित की थी जिसे इस समीक्षा जांच के सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजा गया था। केवल घरेलू उद्योग ने आर्थिक हित प्रश्नावली में मांगी गई सूचना दी है। आवेदक ने अपनी आर्थिक हित प्रश्नावली में घरेलू उद्योग तथा प्रयोक्ता उद्योग से संबंधित सूचना दी है।

113. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य आमतौर पर पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके जो देश के सामान्य हित में है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने से संबद्ध वस्तुओं तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं के प्रयोग से निर्मित अन्य डाउनस्ट्रीम उत्पादों की कीमत स्तर निर्धारित हो सकते हैं। तथापि, पाटनरोधी उपाय लागू होने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी । इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय को जारी रखने से घरेलू उद्योग की गिरावट पर रोक लगेगी जो संबद्ध देश से कम कीमत के संबद्ध आयातों के परिणामस्वरूप हो रही है तथा संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों की व्यापक उपलब्धता में मदद मिलेगी।

114. घरेलू उद्योग के एकाधिकारी व्यवहार के मुद्दे पर यह नोट किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यत: पाटन को समाप्त करना है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है या क्षति होने की संभावना है (एसएसआर के मामले में) और भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल करना है, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी नियमावली से यह ज्ञात नहीं होता है कि कोई एकाधिकारी कंपनी अनुचित आयातों के विरुद्ध प्राधिकारी से कार्यवाही हेतु अनुरोध करने के लिए निषिद्ध है। वर्तमान मामले में भारत में विचाराधीन उत्पाद के 11 उत्पादक हैं ऐसी स्थिति में एकाधिकारी प्रक्रिया का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि ये कंपनियां घरेलू बाजार में एक दूसरे से प्रतिस्पर्ध कर रही हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीओआई में उत्पाद के कोई ज्ञात आयात नहीं थे और क्षति अवधि में आयात की मात्रा कम थी। उत्पाद की 99 प्रतिशत से अधिक मांग भारतीय उद्योग द्वारा पूरी की जाती है। इसके बावजूद, घरेलू उद्योग द्वारा किसी एकाधिकारी नीति या कार्य का कोई साक्ष्यांकित मामला नहीं था। इसके अलावा, वर्तमान क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ, ब्याज पूर्व लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट आई और संपूर्ण क्षति अवधि में कम रहे हैं। यदि घरेलू उद्योग एकाधिकारी स्थिति में होता या घरेलू उद्योग ने एकाधिकारी नीति अपनाई होती तो ऐसी स्थिति नहीं होती। यह भी स्पष्ट है कि आयातों की गैर-मौजूदगी के बावजूद घरेलू उद्योग की लाभप्रदता कम रही है और भारतीय बाजार में भारतीय उद्योग का अधिकांशत: पूरा हिस्सा रहा है।

115. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उत्पाद का प्रयोक्ता उद्योग मुख्यत: देश में खनन और सीमेंट उत्पादक हैं। घरेलू उद्योग ने अंतिम उपभोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क

के प्रभाव संबंधी सूचना दी है। प्राधिकारी ने अंतिम उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध को नोट किया है जो लगभग 0.02 प्रतिशत - 0.03 प्रतिशत है। जैसा नीचे देखा जा सकता है। यह एक सैद्धांतिक स्थिति है जहां भारतीय उद्योग एडीडी के बराबर अपनी कीमतों में वृद्धि करता है:

विवरण	यूओएम	सीमेंट	खनन
तैयार उत्पाद की कीमत	रु./एमटी	7,000	70,000
तैयार उत्पाद का उत्पादन	एमटी	1050000	2000000
जीएम बाल की कुल खपत	एमटी	53	1,600
तैयार उत्पाद के प्रति एमटी जीएम बाल की खपत	एमटी	0.00005	0.00080
जीएम बाल पर पाटनरोधी शुल्क	आईएनआर/एमटी	29,168	29,168
प्रभाव	आईएनआर/एमटी	1.46	23.32
% प्रभाव	%/एमटी	0.021%	0.033%

116. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु की अनुपलब्धता नहीं होगी। यह भी नोट किया जाता है कि देश में मांग-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं हैं और घरेलू उद्योग के पास समूची भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संपूर्ण क्षति अवधि में उत्पाद का व्यावहारिक रूप से कोई आयात नहीं हुआ है और उत्पाद की 99 प्रतिशत से अधिक मांग भारतीय उद्योग द्वारा पूरी की गई थी। किसी भी उपभोक्ता ने भागीदारी नहीं की है और सामग्री की कमी की शिकायत नहीं की है। इसके विपरीत, कुछ उपभोक्ताओं ने बताया कि वे घरेलू उत्पादकों से सामग्री लेकर संतुष्ट हैं।

ठ. <u>प्रकटन पश्चात टिप्पणियां</u>

ठ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

117. प्रकटन विवरण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. प्राधिकारी वेलकास्ट स्टील लिमिटेड के प्रपत्र एक्स में प्राधिकार की गैर-मौजूदगी संबंधी आपत्ति का समाधान करने में विफल रहे हैं।

ख. प्राधिकारी ने उन चार घरेलू उत्पादकों का प्रकटन नहीं किया है जिन्होंने आवेदन का समर्थन किया है।

ग. नियम 2(ग) में विदेशी उत्पादक की घरेलू संबंधित कंपनी के लिए जांच में अनिवार्यता भागीदारी करना अपेक्षित नहीं है जिससे विदेशी उत्पादक के विरुद्ध प्रतिकूल अर्थ लगाया जाएगा। अत:, मागोटेक्स को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत नहीं करना व्यापार सूचना 11/2018 की प्रवंचना नहीं है।

घ. निर्यातक द्वारा किए गए गोपनीयता के दावे घरेलू उद्योग के दावों की प्रतिलिपि है। अत: निर्यातक पर अत्यधिक गोपनीयता का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

ड. इस विवरण में विरोधाभास है कि क्षति की जांच घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है और यह अवलोकन है कि घरेलू उद्योग को विदेशी बाजार में नुकसान हुआ है जिससे उनका उत्पादन और क्षमता उपयोग प्रभावित हुआ है।

च. प्राधिकारी को तीसरे देश के बाजारों में गंवाए गए आदेशों के ब्यौरे नहीं मांगने चाहिए थे।

छ. मागोटेक्स इंडिया की प्रस्ताव कीमत निर्धारित पहुंच मूल्य के लगभग आस-पास नहीं हो सकती है क्योंकि मागोटेक्स इंडिया द्वारा बेची गई मात्राएं घरेलू रूप से विनिर्मित हैं और न्यूनतम लाभ पर बेची गई।

ज. घरेलू उद्योग मनगढंत बीजकों/प्रस्तावों पर भरोसा कर रहा है जिन्हें सत्यापित और उनकी जांच करनी होगी।

झ. मागोटेक्स इंडिया द्वारा व्यापार की गई मात्रा घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित और बेची गई मात्रा की तुलना में बहुत कम है और पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु उस पर विचार नहीं किया जा सकता।

ञ. प्राधिकारी ने इस निर्विवाद तथ्य कि मागोटेक्स ने निर्यातक से पीयूसी का आयात नहीं किया है, के बजाए मान्यताओं और अनुमानों पर भरोसा किया है।

ट. मागोटेक्स की भागीदारी के लिए मांग त्रुटिपूर्ण है क्योंकि (i) एक वितरण चैनल होने के बावजूद मागोटेक्स इंडिया ने पीओआई के दौरान आयात नहीं किया है (ii) मागोटेक्स समूह में अनेक कंपनियां शामिल हैं, मागोटेक्स इंडिया की भागीदारी की मांग करने का अर्थ यह होगा कि मागोटेक्स की सभी समूह कंपनियों को वर्तमान जांच में भागीदारी करने के लिए बाध्य किया जाए (iii) मागोटेक्स इंडिया द्वारा शुल्क के प्रभाव को हटाने के लिए दिया गया आश्वासन व्यर्थ प्रलाप है क्योंकि इसके बावजूद निर्यातक को क्रेता नहीं मिल सके थे (iv) मागोटेक्स इंडिया संविदा के अन्तर्गत स्थानीय रूप से तीसरे पक्षकार द्वारा विनिर्मित उत्पादों की बिक्री कर रहा है जो अवैध नहीं है और पाटन तथा क्षति की संभावना या पुनरावृत्ति के निर्धारण में अप्रासंगिक है।

ठ. एआईए इंजीनियरिंग लिमिटेड ने उत्पादन क्षमता में भारी वृद्धि की है, जिसके परिणामस्वरूप संकेतकों में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग दुर्भावनापूर्ण और एकाधिकारी व्यवहार से ग्रस्त है।

ड. घरेलू उद्योग चिरस्थाई पाटनरोधी शुल्क की मांग कर रहा है जो पाटनरोधी शुल्क के उद्देश्य के विरुद्ध है क्योंकि 0 आयात हुए हैं और 10 लंबे वर्षों के बाद आगे संरक्षण की मांग करने का कोई न्याय-संगत कारण नहीं है।

ढ. घरेलू उद्योग मागोटेक्स से प्रतिस्पर्धा को समाप्त करके भारतीय प्रयोक्ता का शोषण कर रहा है।

ण. मैगोटॉक्स इंडिया, मैगोटॉक्स की एक समूह इकाई है, जिसमें से मैगोटॉक्स कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड भी ऐसी ही एक इकाई है। केवल इसलिए कि मैगोटॉक्स इंडिया एक ही मैगोटॉक्स समूह से संबंधित है और इसलिए, मैगोटॉक्स इंडिया को भाग लेने की आवश्यकता है, तो मैगोटॉक्स की सभी

समूह कंपनियों को भी वर्तमान जांच में भाग लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

ठ.2. घरेलू उद्योग के अनुरोध

118. प्रकटन विवरण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. मागोटेक्स थाइलैंड द्वारा प्रकटन के दिन किए गए अनुरोध देरी से किए गए हैं। पूरी जांच के दौरान उन्होंने प्राधिकारी, नियमावली और कानून द्वारा विहित समय सीमाओं की पूरी तरह से अनदेखी की है।

ख. प्रतिवादी प्रश्नावली के अनुसार विहित सूचना देने, प्रश्नावली का सार्थक अगोपनीय अंश परिचालित करने, सत्यापन हेतु संगत दस्तावेज देने आदि में विफल रहे हैं। मागोटेक्स थाइलैंड जांच के दौरान सहयोग करने में विफल रहा है।

ग. अनुरोधों का अगोपनीय अंश 5 अप्रैल, 2023 को देरी से प्रस्तुत किया गया और घरेलू उद्योग को परिचालित नहीं हुआ था। घरेलू उद्योग इन अनुरोधों की विषय-वस्तु से अनभिज्ञ है।

घ. निर्यातक की प्रश्नावली में सभी संबंधित कंपनियों द्वारा सूचना देने का अनुदेश है। संबंधित कंपनी मागोटेक्स इंडिया, जो एक आयातक है द्वारा भागीदारी नहीं करना, मागोटेक्स थाइलैंड के बिक्री और विपणन कार्यालय ने क्षति अवधि में घरेलू बिक्रियां की हैं और पाटित तथा क्षतिकारी कीमत पर संबद्ध वस्तु उपभोक्ताओं को बेची है और जांच में अत्यधिक बाधा डाली है।

ड. मागोटेक्स इंडिया के असहयोग के कारण प्राधिकारी वर्तमान जांच में खरीद, प्रचालन, शामिल यूनिटों और वितरण की श्रृंखला के ब्यौरों का सार्थक रूप से विश्लेषण नहीं कर पाए हैं।

च. मागोटेक्स थाइलैंड और इंडिया, मागोटेक्स समूह द्वारा नियंत्रित हैं, संबद्ध हैं और उनके साझे निदेशक हैं। वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए सौदों के ब्यौरों में इन कंपनियों के बीच बिक्री और वस्तु की खरीद तथा प्रबंधन परामर्श का खुलासा किया गया है।

छ. मागोटेक्स इंडिया द्‍वारा किए गए प्रस्तावों पर निर्यात कीमत की गणना प्राधिकारी की प्रक्रिया के अनुसार की गई है। इस नीति को डेनमार्क से कैटेलिस्ट, ईयू, सिंगापुर, थाइलैंड, जापान, ब्राजील और कोरिया गणराज्य से पीआईबी तथा आस्ट्रिया, चेक गणराज्य, रूस और यूक्रेन से सीमलेस ट्यूब्स सहित विभिन्न क्षेत्राधिकारों में जांचों में अपनाई गई है। कतर से कास्टिक सोडा के आयातों से संबंधित दिनांक 7 अक्तूबर, 2002 की पाटनरोधी जांच का उल्लेख और उस पर भरोसा किया गया है।

ज. मागोटोक्स समूह एक वैश्विक एकाधिकार बनाना चाहता है, जैसा कि व्यापार उपचारात्मक उपायों के इतिहास से देखा जा सकता है; तीसरे देश के बाजार में पाटित उत्पादों को बेचना और शुल्क लागू होने के समय मागोटेक्स थाइलैंड को नुकसान हुआ है।

झ. घरेलू उद्‍योग तथा घरेलू उत्पादकों, जो एमएसएमई हैं, के संरक्षण के लिए 10 वर्ष के बाद मागोटेक्स थाइलैंड द्‍वारा प्राप्त रियायतों और लाभों के प्रभाव का सामना करने के लिए शुल्क जारी रखा जाना चाहिए; मागोटेक्स इंडिया द्‍वारा प्रस्तुत कीमत के अनुसार, प्रतिवादी के पास उपलब्ध मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता और मालसूची तथा तीसरे देश को पाटन के अनुसार शुल्क को जारी रहना चाहिए।

ञ. मागोटेक्स पर लागू शुल्क पर विचार करते हुए अंतिम उपभोक्ता पर शुल्क के प्रभाव की पुन:गणना की गई है। यह 0.009-0.014 प्रतिशत है और नगण्य तथा मामूली रहना जारी है।

ट. भारत में उपभोक्ताओं को उचित कीमत मिल रही है क्योंकि घरेलू उद्‍योग ने लागत में वृद्‍धि के अनुपात में बिक्री कीमत में वृद्‍धि नहीं की है और घरेलू उद्‍योग के समर्थन में दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं।

ठ.3 प्राधिकारी द्‍वारा जांच

119. प्राधिकारी ने घरेलू उद्‍योग और अन्य हितबद्‍ध पक्षकारों द्‍वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है और नोट करते हैं कि कुछ टिप्पणियां दोहराव हैं, जिनका प्रकटन विवरण के संगत पैराओं में उपयुक्त और पर्याप्त रूप से जांच की गई

है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पहली बार की गई प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है:

120. इस दलील के संबंध में कि वेलकास्ट स्टील को विहित प्रपत्र में प्राधिकार नहीं दिया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वेलकास्ट स्टील एआईए इंजीनियरिंग के पूर्ण स्वामित्व वाली अधीनस्थ कंपनी है। चूंकि मूल कंपनी पीयूसी के उत्पादन में शामिल है और उसने वेलकास्ट द्वारा उत्पादित सामग्री बेची है, इसलिए प्राधिकारी ने सूचना को स्वीकार किया है। किसी भी तरह प्राधिकारी को वेलकास्ट से प्रपत्र एक्स प्राप्त हुआ है और उन्होंने सूचना का आगे सत्यापन किया है तथा सूचना और साक्ष्य की पर्याप्तता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा विहित प्राधिकार और प्रमाण-पत्र प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए हैं और उनसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के हितों के विरुद्ध कोई पक्षपात नहीं हुआ है।

121. जहां तक अन्य घरेलू उत्पादकों के नामों का संबंध है जिन्होंने आवेदन का समर्थन किया है, प्रतिवादी निर्यातक ने दस्तावेज के अगोपनीय संस्करण की प्राप्ति के 7 दिनों के निर्धारित समय के भीतर दावा की गई गोपनीयता पर कोई टिप्पणी नहीं की। घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि समान नाम के प्रकटीकरण से पार्टी के हित पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्राधिकरण ने इस संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है और संतुष्ट होने पर प्राधिकरण ने पार्टी के नाम पर गोपनीयता की अनुमति दी है। प्राधिकरण इस संबंध में नोट करता है कि यह असामान्य नहीं है कि संबंधित पक्षों के नाम भी गोपनीय होते हैं, विशेष रूप से जब विरोधी पक्षों के परस्पर विरोधी व्यावसायिक हित शामिल होते हैं। तथापि, घरेलू उद्योग स्वयं नियम 5(3) के अनुसार स्थायी आवश्यकता को पूरा करता है। इसलिए, समर्थक के रूप में अन्य घरेलू उत्पादकों की आवश्यकता वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक नहीं है।

122. जहां तक इस विवाद का संबंध है कि मैगोटॉक्स इंडिया को वर्तमान जांच में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैगोटॉक्स थाईलैंड ने क्षति अवधि के दौरान निर्विवाद रूप से सामग्री बेची है। केवल जांच की अवधि के दौरान कोई निर्यात नहीं हुआ है । इसके अलावा, मैगोटॉक्स थाईलैंड ने स्वयं मैगोटॉक्स इंडिया को अपने बिक्री चैनलों में से एक के रूप में पहचाना है। वर्तमान जांच का दायरा इस शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को डंपिंग और परिणामी क्षति की संभावना का पता लगाने के लिए है। ऐसी स्थिति में, अपनाया गया विक्रय चैनल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही कुछ मूल्य प्रस्ताव थाईलैंड के रूप में माल की उत्पत्ति का देश दिखाते हैं। मैगोटॉक्स इंडिया ने मौखिक सुनवाई में भाग लिया है। यदि मैगोटॉक्स इंडिया वस्तुतः सुनवाई में शामिल हुआ, तो यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि वर्तमान जांच में पार्टी की कोई दिलचस्पी नहीं है, विशेष रूप से ऐसी स्थिति में

जहां याचिकाकर्ताओं ने मैगोटॉक्स इंडिया द्वारा महत्वपूर्ण व्यावसायिक गतिविधियों का विरोध किया है और उसे उस समय भी स्वीकार किया गया है। सुनने का।

123. घरेलू और निर्यात बाजार के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन विश्लेषण में स्पष्ट विरोधाभास के बारे में यह बताया गया है कि क्षति जांच केवल घरेलू बाजार में बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन तक सीमित है। प्राधिकारी ने कारणात्मक संबंध विश्लेषण और संभावना के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन की जांच अलग से की है। निर्यात निष्पादन और निर्यात बाजारों में घरेलू उद्योग द्वारा गंवाए गए या प्राप्त बाजार की जांच केवल इन वर्षों के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात की प्रवृत्ति से संबंधित है।

124. जहां तक इस कथन का संबंध है कि मैगोटॉक्स इंडिया ने जांच की अवधि के दौरान निर्यातक से पीयूसी का आयात नहीं किया है, प्राधिकारी ने यह नहीं माना है कि मैगोटॉक्स थाईलैंड ने जांच की अवधि के दौरान मैगोटॉक्स इंडिया को सामग्री बेची है। प्राधिकारी ने माना है कि थाईलैंड से विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं हुआ है । तथापि, ऐसी स्थिति में जहां जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं हुआ था, नियमों के अनुसार प्राधिकारी को पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना का पता लगाने की आवश्यकता है। इसके अलावा , क्षति अवधि के दौरान मैगोटॉक्स थाईलैंड द्वारा निर्यात किए गए थे । प्राधिकारी ने शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना का पता लगाने के लिए रिकॉर्ड में उपलब्ध सभी सूचनाओं और साक्ष्यों पर विचार किया है ।

125. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि मैगोटॉक्स इंडिया की प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं थी, प्राधिकारी ने मैगोटॉक्स थाईलैंड, घरेलू उद्योग और अन्य पक्षों द्वारा किए गए निवेदनों की जांच की है और उनका मानना है कि मैगोटॉक्स इंडिया का जवाब वर्तमान मामले के लिए बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक था क्योंकि स्वयं मैगोटॉक्स थाईलैंड ने खुद ही इसका जवाब दिया है। भारत को निर्यात के लिए एक वितरण चैनल के रूप में मैगोटॉक्स इंडिया की पहचान की। प्राधिकरण ने यह नहीं बताया है कि मैगोटॉक्स थाईलैंड की सभी समूह संस्थाओं को प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करना चाहिए था। चूंकि जांच मैगोटीओक्स थाईलैंड द्वारा निर्यात से संबंधित है, जिस तरीके से मैगोटीओक्स थाईलैंड भारत को उत्पाद का निर्यात करेगा, वह संभावना निर्धारण के लिए प्रासंगिक हो जाता है। हालांकि, एक सैद्धांतिक स्थिति में जहां मैगोटॉक्स थाईलैंड ने अपनी एक या अधिक वैश्विक संस्थाओं के माध्यम से उत्पाद का निर्यात किया होगा, प्राधिकरण को उन संस्थाओं से प्रतिक्रिया की आवश्यकता होगी। हालांकि, मैगोटॉक्स थाईलैंड ने वर्तमान मामले के प्रयोजन के लिए अन्य वैश्विक संस्थाओं की पहचान नहीं की है और इसलिए प्राधिकरण ने मैगोटॉक्स थाईलैंड की अन्य समूह कंपनियों से प्रतिक्रिया की मांग नहीं की है।

126. आवेदकों द्वारा यह दावा किया गया है कि मैगोटॉक्स इंडिया ने अपने ग्राहकों को शुल्क के प्रभाव को दूर करने का आश्वासन दिया है। निर्यातक/उत्पादक ने कहा है कि आवेदकों का यह दावा केवल बयानबाजी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क के प्रभाव को दूर करने के लिए मैगोटॉक्स इंडिया द्वारा दिए गए आश्वासन के संबंध में आवेदकों के दावे के बावजूद, मैगोटॉक्स थाईलैंड ने स्वयं कहा है कि वह शुल्क वापस लेने की स्थिति में कुछ सामग्री की आपूर्ति करेगा।

127. उत्पादन क्षमता, उत्पादन, घरेलू बाजार शिपमेंट्स, भारत और अन्य बाजारों को निर्यात, या भविष्य में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन से संबंधित सूची पर शुल्क को रद्द करने के प्रभाव पर प्रतिक्रिया मांगने वाले सवाल के जवाब में मैगोटेक्स थाईलैंड ने अपने प्रश्नावली के जवाब में कहा है। कि *"कंपनी उत्पादन क्षमता, घरेलू बाजार के शिपमेंट और अन्य बाजारों (भारत के अलावा) में निर्यात में किसी भी बदलाव की उम्मीद नहीं करती है। हालांकि, उम्मीद है कि कंपनी को भारतीय ग्राहकों से कुछ ऑर्डर मिलेंगे और उस हद तक उत्पादन बढ़ सकता है।"* मैगोटॉक्स थाईलैंड ने स्वीकार किया कि पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में वे भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं। यह पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना का संकेत है ।

128. जहां तक उत्पादन क्षमता में वृद्धि और आर्थिक प्रदर्शन पर इसके प्रभाव का संबंध है, प्राधिकरण नोट करता है कि एआईए की उत्पादन लागत में वृद्धि को क्षमता में वृद्धि के साथ सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इसकी मुख्य वजह कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी है। वास्तव में, जिस संयंत्र में उत्पादन क्षमता का विस्तार किया गया है, उसकी रूपांतरण लागत उस संयंत्र की तुलना में कम है, जिसने क्षमता का विस्तार नहीं किया।

129. याचिकाकर्ता द्वारा एकाधिकारी व्यवहार के आरोप के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता के पास भारतीय बाजार में अधिकांश हिस्सा नहीं है। वास्तव में, भारतीय बाजार में अधिकांश हिस्सा एमएसएमई क्षेत्र का है जिसमें 11 कंपनियां हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी ने मूल जांच अर्थात 2010 से उत्पादन और खपत में भारतीय उद्योग के हिस्से का विश्लेषण किया है। जैसा नीचे देखा गया है, यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग भारतीय बाजार में एकाधिकारी स्थिति में नहीं है। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क ने भारत में उत्पादन और खपत में एमएसएमई का हिस्सा बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है।

	मूल जांच	**प्रथम एसएसआर**	**वर्तमान एसएसआर**
जांच की अवधि	जन.-दिस. 2010	अप्रैल ‘16-मार्च‘17	अप्रैल ‘21-मार्च‘22
अन्य भारतीय उत्पादक (एमएसएमई)			

खपत में हिस्सा	21%	47%	58%
उत्पादन में हिस्सा	10%	12%	21%

130. हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के संबंध में कि आगे सुरक्षा की मांग करने का कोई न्यायोचित कारण नहीं हो सकता है क्योंकि शुल्क पहले से ही 10 वर्षों से लागू थे, प्राधिकरण नोट करता है कि नियम शुल्क की अवधि को बढ़ाए जाने की संख्या को सीमित नहीं करते हैं। शुल्क की सिफारिश डंपिंग, क्षति और डंपिंग के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना और घरेलू उद्योग को क्षति को ध्यान में रखते हुए की गई है। इन कारकों का इस अंतिम निष्कर्षों के उपयुक्त खंडों में विश्लेषण किया गया है।

ड. <u>निष्कर्ष और सिफारिशें</u>

131. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरु की गई और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई तथा घरेलू उद्योग, निर्यातक, आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन तथा क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति होने की संभावना के पहलुओं संबंधी सूचना देने का पर्याप्त अवसर दिया गया।
132. अनुशंसित एंटी-डंपिंग शुल्क घरेलू या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा को कम नहीं करेगा, क्योंकि भारतीय उपभोक्ता घरेलू उत्पादकों, चीन और अन्य बाजारों से सामग्री प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
133. पिछले 10 वर्षों से उत्पाद पर लागू शुल्क ने घरेलू उद्योग की समान अवसर वाले बाजार में प्रचालन करने में मदद की है। यह भी दलील दी गई है कि उपभोक्ताओं पर पिछले 10 वर्षों से लागू एडीडी के किसी प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं है। बताए इसके, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है और यह बताते हुए उपभोक्ताओं के पत्र प्रस्तुत किए हैं कि उपभोक्ताओं को घरेलू उद्योग के उत्पादों के प्रयोग से लाभ हुआ है और लागत में बचत हुई है।
134. यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है , प्राधिकारी की राय है कि थाइलैंड से आयातों के संबंध में इस उपाय को विस्तारित किए जाने की आवश्यकता है । प्राधिकरण ने वर्ष 2019-2021 के लिए मैगोटॉक्स थाईलैंड की वार्षिक रिपोर्ट के सार के रूप में प्राधिकरण के समक्ष रखे गए साक्ष्यों को नोट किया है। यह देखा गया है कि कंपनी ने उत्पादन का लगभग 95% निर्यात करने के बावजूद कैलेंडर वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए वित्तीय घाटे की सूचना दी है। प्राधिकरण की राय है कि कंपनी अन्य वैश्विक बाजारों में अच्छी कीमत पाने में सक्षम नहीं है और भारत जैसे लाभदायक बाजार की तलाश कर रही है।

135. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैगोटॉक्स थाईलैंड संबद्ध वस्तुओं के कुल उत्पादन का 80 % से अधिक का निर्यात तीसरे देशों को सामान्य मूल्य से कम कीमत पर कर रहा है । यह मैगोटॉक्स थाईलैंड के व्यवहार पैटर्न को दर्शाता है। इस बात की पूरी संभावना है कि पाटनरोधी शुल्क को वापस लिए जाने पर वे भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं का पाटन कर सकते हैं जिनका वर्तमान में तीसरे देशों को निर्यात किया जाता है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होगी।

136. घरेलू उद्योग और अन्य घरेलू उत्पादकों की क्षमता सामूहिक रूप से निर्यात का लेखा-जोखा रखने के बाद भी घरेलू मांग को पूरा कर सकती है। अत: किसी भी मात्रा का आयात घरेलू उत्पादकों की क्षमता से अतिरिक्त होगा । यदि आयातों को क्षतिपूर्ण कीमत पर पाटित किया जाता है तो घरेलू उत्पादकों को अपना बाजार हिस्सा गंवाने की संभावना होती है और परिणामस्वरूप नुकसान उठाना पड़ता है ।

137. मैगोटॉक्स थाईलैंड ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लगभग 95000 मीट्रिक टन की उसकी संपूर्ण निर्यात बिक्री "स्पॉट सेल" के आधार पर है; इस प्रकार महत्वपूर्ण उत्पादन क्षमताओं को स्वतंत्र रूप से डिस्पोजेबल छोड़कर। इसके अलावा, मैगोटॉक्स थाईलैंड ने कहा है कि वह पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में भारतीय बाजार में बिक्री शुरू कर देगा।

138. दी गई दलीलों, प्रदत्त सूचना, किए गए अनुरोधों और ऊपर यथा-अभिलिखित प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के उक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि:

क. विचाराधीन उत्पाद वही है जो पूर्ववर्ती जांचों में परिभाषित किया गया है और वह घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद के समान वस्तु है।

ख. आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमावली के अन्तर्गत अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ग. वर्तमान में कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद से कोई आयात नहीं हुआ है।

घ. मौजूदा अवधि में घरेलू उद्योग का प्रदर्शन और खपत में अन्य भारतीय उत्पादकों का महत्वपूर्ण हिस्सा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि घरेलू उद्योग का भारतीय बाजार पर एकाधिकार नहीं है।

ङ. प्रश्नावली के उत्तर के विश्लेषण से पता चलता है कि मागोटेक्स थाइलैंड द्वारा उसके अन्य सुदूर बाजारों से भारत में निर्यातों को पुन:निर्देशित करने की पर्याप्त संभावना है और उनके सामने एकमात्र बाधा मौजूदा पाटनरोधी शुल्क है।

च. थाइलैंड से उत्पादकों का भारत में पाटन का इतिहास रहा है और उनके पास मुक्त रूप से निपटान योग्य उत्पादन क्षमता है, वे तीसरे देशों में पाटन कर रहे हैं, एफटीए के अन्तर्गत रियायतें प्राप्त करते हैं और काफी अधिक निर्यातोन्मुखी हैं।

छ. आवेदकों के संभावित और भावी निष्पादन के आकलन से पता चलता है कि यदि शुल्क हटाया जाता है तो घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आने की संभावना है।

ज. मौजूदा शुल्कों को जारी रखना जनहित के विरुद्ध नहीं होगा।

झ. अंतिम उपभोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव मामूली है।

ञ. चीन जन.गण. से पाटन और क्षति की संभावना सिद्ध करने के लिए कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है।

139. यह निष्कर्ष निकालते हुए कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है तो पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है, प्राधिकारी की राय है कि इस उपाय को थाइलैंड से आयातों के संबंध में आगे बढ़ाना आवश्यक है। भारत को थाइलैंड से कीमत प्रस्तावों तथा शेष विश्व को निर्यातों से पाटित और क्षतिकारी आयातों की मात्रा पर विचार किया गया है। तथापि, चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश नहीं की गई है।

140. वर्तमान लागू उपाय के समाप्त होने पर आसन्न पाटन और क्षति की संभावना की जांच करने के बाद, प्राधिकारी थाइलैंड के विरुद्ध भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-। खंड-। में प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम अधिसूचनपा सं. 7/7/2017-डीजीएडी दिनांक 11 जून, 2018 के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा यथा अनुशंसित और केन्द्र सरकार द्वारा पांच वर्षों की अवधि के लिए अधिसूचना सं. 36/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 13 जुलाई, 2018 के माध्यम से यथा-अधिसूचित, लागू पाटनरोधी शुल्क को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की सिफारिश करते हैं। तदनुसार, नीचे दी गई तालिका के कॉलम 7 में निर्दिष्ट राशि के अनुसार निश्चित प्रतिपाटन शुल्क को केंद्र सरकार द्वारा

इन सिफारिशों को स्वीकार करने की स्थिति में इस अधिसूचना की तारीख से विस्तारित करने की सिफारिश की जाती है, जो संबंधित सामानों के सभी आयातों पर या थाईलैंड से निर्यात किया।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्षक / उप शीर्षक	माल का विवरण	मूलता देश	निर्यात के देश	उत्पादक	शुल्क राशि यूएस डॉलर प्रति एमटी में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	7325 9100	'ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स' (फोर्ज्ड ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स को छोड़कर)	थाईलैंड	थाईलैंड	मैगोटॉक्स कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड	158.80
2	-do-	-do-	थाईलैंड	थाईलैंड	क्र.सं. 1 में दर्शाए गए को छोड़कर कोई अन्य	187
3	-do-	-do-	कोई अन्य	थाईलैंड	कोई अन्य	187
4	-do-	-do-	थाईलैंड	कोई अन्य	कोई अन्य	187

ढ. आगे की प्रक्रिया

141. इस सिफारिश से उत्पन्न केन्द्र सरकार के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा-कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अस्व

(अनंत स्वरूप)

निर्दिष्ट प्राधिकारी